खण्ड-428, अंक-3
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1920
(11 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
जनपद महाराजगंज के ग्राम पंचरुखिया में विवादित कब्रिस्तान की जमीन पर दो सम्प्रदायों में कब्जे को लेकर हुए गोलीकाण्ड विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–75
जनपद महाराजगंज में ग्राम पंचरुखिया में विवादित कब्रिस्तान की जमीन पर पीपल के पांच पेड़ लगवाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	75–80
विपक्षी दलों के सभी नेताओं को बोलने का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	80–84
श्री उदयराज यादव, को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	84–85
श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण एवं श्री राम विशुन आजाद को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	85–86
नत्थियां	87–97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ		किशन लाल बघेल, श्री	आगरा
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी
श्री अजय राय, श्री	वाराणसी	केशो मेहरा, श्री	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	कैलाश, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
अमर मणि, श्री	महराजगंज	गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	गोमती यादव, श्री	लखनऊ
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	गोरखनाथ पाण्डेय, श्री	भदोही
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
आलमबदी, श्री	आजमगढ़	छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर	जगपाल, श्री	सहारनपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	जटा शंकर, श्री	बहराइच
ओंकार सिंह, श्री	एटा	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा

धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	आजमगढ़
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूर्णमासी पंकज, श्री	भदोही
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
फायू, श्री	मऊ
बंशीधर भंगत, श्री	नैनीताल
बचनूराम पटेल, श्री	वाराणसी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बाबू राम; श्री	जालौन
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भरत सिंह, श्री	बलिया
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भोनू, श्री	गाजीपुर
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मानिक चन्द्र यादव, श्री	मैनपुरी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
योगेन्द्र कुमार; श्री	बदायूं
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम चन्दर यादव, श्री	फैजाबाद
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा

रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शा, डा०	बहराइच
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सिंहासन सिंह, श्री	गाजीपुर
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	ऊधम सिंह नगर
सौलत अली, एडवोकेट	मुरादाबाद
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

जनपद महराजगंज में ग्राम पंचरुखिया में विवादित कब्रिस्तान की जमीन पर दो सम्प्रदायों में कब्जे को लेकर हुए गोलीकाण्ड विषयक नियम 311 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी,.....

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के [× × ×] तथा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग राजनीतिक विद्वेष के कारण [× × ×] । कल गोरखपुर में भा०ज०पा० के लोगों ने गोली चलाकर एक पुलिस कर्मी की हत्या कर दी और अनेक लोगों को घायल कर दिया । (व्यवधान)

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम विशुन आजाद व अन्य कई सदस्य सदन के वेल में आ गये जिनमें से कुछ अध्यक्षासन की ओर बढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जायं ।

(कई सदस्यों ने सदन में कागज उछाले जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

(वेल में आये सदस्यों के अपने आसन पर न जाने एवं निरन्तर व्यवधान होने पर)

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

**1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? क्या यह सच है कि विगत जुलाई, 1998 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

के अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री जी को उक्त आयोग के गठन के लिये पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उस पत्र के परिपेक्ष्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जीनहीं ।

जी हां ।

राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील करने के लिये अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाना ।

राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन न करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में आलू भण्डारण की व्यवस्था की जानकारी

**2—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस बार आलू के भारी उत्पादन को देखते हुए आलू भण्डारण की समुचित व्यवस्था हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां । कार्ययोजना के अनुसार शीतगृहों पर दिनांक 5 जनवरी से 14 फरवरी तक खिड़की पर बुकिंग करायी जायेगी जिससे नियंत्रित और सुगम रूप से भण्डारण हो सकेगा और शीतगृहों पर अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्र नहीं होगी तथा सड़क जाम व शान्ति व्यवस्था भंग होने की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश में नवसृजित जिलों के मुख्यालय भवन की व्यवस्था की मांग

*1—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक प्रदेश में कितने नव सृजित जिले स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उन जिलों में विभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय भवन की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

दिनांक 4 अप्रैल, 1997 से दिनांक 10-9-97 तक प्रदेश में 15 नये जिलों का सृजन हुआ है ।

अद्यतन सूचना संकलित की जा रही है ।

*2—श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में पशुधन की गुणवत्ता की वृद्धि हेतु शासन की नीति की जानकारी

*3—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति कितनी है ? पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता की वृद्धि हेतु शासन की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

वर्ष 1993 की पशुगणना के अनुसार, कुत्तों की संख्या को छोड़कर, प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति कुल 648.29 लाख है ।

जी हां, उ० प्र० पशुधन सुधार अधिनियम 1964 (18 आफ 1964) के तहत अपनाई गई नीति के तहत पशुधन संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिये पशुपालन विभाग एक वैज्ञानिक आधार पर कार्य कर रहा है, जो निम्नवत् है :—

1—पशु प्रजनन नीति–

गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार हेतु

2—अन्य छोटे पशुओं के सम्बन्ध में नीति–

भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, सूकर, शशक तथा कुक्कुट जैसे पशुओं/पक्षियों में सम्वर्द्धन ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मछुवा समुदाय के परिवारों को आवास मुहैया कराये जाने की योजना की जानकारी

*4—श्री सीताराम निषाद–

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मछुआ समुदाय के लाखों परिवार फूस व छप्पर के मकानों में निवास करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मछुआ समुदाय के उन सभी परिवारों को मछुआ आवास मुहैया कराने की कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल फण्ड फार फिशरमैन की योजना के अन्तर्गत मछुवा आवासों के निर्माण की योजना पहले से ही विद्यमान है, जिसके अन्तर्गत मछुवा आवासों का निर्माण गत कई वर्षों से कराया जा रहा है ।

श्री जे० एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के आधार पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

*5—श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1997 में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र पंचायत राज विभाग के सभी मण्डलों में श्री जे० एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के आधार पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री लालजी वर्मा–

[आश्वासन◆ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*2—श्री राम औतार शाक्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[5वे शुक्रवार में ता० प्र० सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद में जमुनापार गंगापार को नया जिला बनाये जाने की मांग

*4—कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में नया जिला कौशाम्बी बनाया गया है ? क्या जमुनापार गंगापार को भी जिला बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इलाहाबाद शहर को केन्द्र अधिशासित शहर घोषित करने के लिये केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रदेश में किसानों को दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत सहायता दिये जाने की मांग

*5—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अतिवृष्टि एवं दैवी आपदा के कारण प्रदेश में खरीफ की फसल नष्ट हो गई है । यदि हां, तो क्या सरकार दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपया की राहत सहायता देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शासनादेश सं०–14(12)/96–एम०आर०–29/96, दिनांक 8 फरवरी, 1996 के अनुसार दैवी आपदा में ओलावृष्टि से कृषकों को फसल की 50% से अधिक क्षति पर रु० 500/- प्रति एकड़ तथा अधिकतम रु० 2,500/- प्रति कृषक की दर से देय है । राहत की दर की बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

वर्ष 1998-99 में बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन एवं प्राप्त सहायता धनराशि के उचित वितरण के उपायों की जानकारी

*6—श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी जन धन की हानि हुई ? सरकार से प्राप्त सहायता धनराशि का उचित वितरण हो, इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हां ।

प्रदेश में बाढ़/वर्षा/भूस्खलन से 1390 मनुष्यों व 3385 पशुओं तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में रु० 2139.49 करोड़ की क्षति हुई । शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को राहत वितरण नियमानुसार एवं लेखा जोखा वित्तीय नियमों के अनुरूप रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं । प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं राजस्व परिषद् को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थलीय जांच कर पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार राहत वितरण करायें । साथ ही साथ राहत वितरण की पात्रता सूची प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये जाने तथा ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में राहत वितरण किये जाने के भी निर्देश दिये गये । यह भी निर्देश है कि वितरित राहत का विवरण ग्राम प्रधान को भी उपलब्ध कराया जाय, जिसका ग्राम प्रधान गांव सभा की आम बैठक में खुलासा करें ।

प्रदेश की मण्डियों में कतिपय वर्षों में आलू एवं प्याज के आवक के तुलनात्मक स्थिति की जानकारी

*7—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मंडियों में वर्ष 1998-99 के पहले 7 महीनों में आलू, प्याज की आवक (क्विंटल में) वर्ष 1997-98 की तुलना में कितनी हुई ? भावों की तुलनात्मक स्थिति क्या रही–

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

प्रदेश की मंडियों में वित्तीय वर्ष 1998-99 के पहले 7 महीनों में प्याज व आलू की आवक वर्ष 1997-98 की तुलना में निम्नानुसार रही है :––

माह का नाम	प्याज की कुल आवक (लाख कुन्तलों में		आलू की कुल आवक (लाख कुन्तलों में)	
	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
अप्रैल	2.6	3.8	39.9	12.9
मई	2.6	3.9	20.2	08.4
जून	2.8	3.3	16.6	11.3
जुलाई	2.8	1.4	16.6	11.6
अगस्त	1.9	1.0	21.2	12.0
सितम्बर	1.7	0.5	22.4	14.1
अक्टूबर	1.2	0.4	37.2	19.2
योग –	15.6	14.3	174.1	89.5

भावों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार रही है :—

माह का नाम	प्याज का औसत भाव (रु० प्रति कुन्तल)		आलू का औसत भाव (रु० प्रति कुन्तल)	
	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
अप्रैल	415	401	117	590
मई	265	336	120	610
जून	182	500	122	643
जुलाई	217	922	175	665
अगस्त	245	1499	203	769
सितम्बर	291	1775	203	800
अक्टूबर	351	3475	200	948

*8—श्री राजधारी–

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद व तहसील लखीमपुर के कतिपय गांवों में शारदा नदी की कटान से प्रभावित परिवारों को पुनः बसाने की मांग

*9—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर की तहसील लखीमपुर में शारदा नदी से करदहिया मानपुर आदि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि कटान से कट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटाव से प्रभावित परिवारों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराकर अन्य स्थान पर बसाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद लखीमपुर के तहसील लखीमपुर के ग्राम करदहिया मानपुर आदि की कुल भूमि 430.906 हेक्टेयर है जिसमें 384.092 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं 46.814 हेक्टेयर अकृषिक भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है । बाढ़ के पश्चात् पुनः उक्त भूमि पर कृषकों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है । वर्तमान समय में उक्त ग्राम के 55 परिवारों की कुल 31.988 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है । इन 55 परिवारों को ग्राम बेड़हा सुतिया मजरा जंगल नं०–1 में ग्राम सभा की भूमि पर स्थायी रूप से बसा दिया गया है ।

महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों पर पदों को भरे जाने विषयक शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की मांग

*10—श्री चेतराम–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि व्यय बचत आयोग की संस्तुति के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों पर 30 पदों को रखे जाने विषयक शासनादेश

संख्या–3028, दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ में निदेशक, उद्योग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों (निदेशक उद्योग) के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

व्यय बचत आयोग की संस्तुति के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न पर प्रति जिला उद्योग केन्द्रों में 30 पदों को रखे जाने विषयक जारी शासनादेश सं०–3028, दिनांक 24-10-97 के संदर्भ में निदेशक उद्योग द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की गयी :––

(1) महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (ऋण), प्रवन्धक (तकनीकी), प्रवन्धक (विपणन), प्रबन्धक (परियोजना) के पदों की स्वीकृति की संख्या महाराष्ट्र पैटर्न के पूर्व पैटर्न के समान होने के कारण इन पदों पर कोई भी पद धारक सरप्लस नहीं हैं ।

(2) सहायक (प्रबन्धक) पद की संख्या महाराष्ट्र पैटर्न पर में प्रति जिला उद्योग केन्द्र 9 कर दिये जाने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत 484 पदों से बढ़ाकर महाराष्ट्र पैटर्न में 504 हो गये जिससे कोई कर्मचारी सरप्लस नहीं है ।

(3) सांख्यकीय सहायक, ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, प्रधान लिपिक, चालक, दफ्तरी, चौकीदार तथा स्वच्छकार के पदों की स्वीकृति महाराष्ट्र पैटर्न में पूर्व की भांति होने के कारण इन पदों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(4) अर्दली/चपरासी के पदों की स्वीकृति महाराष्ट्र पैटर्न में प्रति जिला उद्योग केन्द्र कर दिये जाने से पूर्व में स्वीकृत 467 पदों के बजाय 75 पद स्वीकृत रह गये, जिनका समायोजन मण्डल स्तर पर विभाग की अन्य चालू योजनाओं में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब ऐसे 308 पद धारक समायोजन हेतु शेष हैं जिनकी बाद में होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध ही समायोजित हो सकते हैं अथवा इन्हीं पदों पर सेवानिवृत्ति तक सरप्लस रहने की सम्भावना है ।

(5) प्रमोशनल असिस्टेन्ट, सहायक सांख्य अधिकारी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों, जिनके पद महाराष्ट्र पैटर्न में स्वीकृत नहीं हैं का समायोजन समस्त पद सहायक प्रबन्धक के पद पर किया जा चुका है । इसी तरह अन्वेषक का संगणक के पूर्व स्वीकृत 310 पदों के विरुद्ध 157 पद धारक कार्यरत हैं । महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत अभी तक 76 जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों हेतु 76 पद स्वीकृत हैं, अस्तु महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर सरप्लस हुए 81 पदों में से 57 पद धारकों को प्रोन्नति के माध्यम से सहायक प्रबन्धक के पद पर तथा 24 पद धारकों को विभाग की सेन्सस योजना में समान रिक्त उपलब्ध पद पर स्थानान्तरित करते हुए समायोजित किया गया है ।

(6) पी० एल० आई० के 15 पद धारकों, जिनके पद महाराष्ट्र पैटर्न में स्वीकृत नहीं हैं, में से 9 को सहायक प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करके सेवा-नियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति के उपरान्त समायोजित किया जा चुका है । प्राविधानानुसार इन शेष पद धारकों को सेवा अवधि 11 वर्ष पूर्ण होते ही इन्हें प्रोन्नति कर समायोजित कर लिया जायेगा । लिपिकीय संवर्ग के पदों, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक/टंकक आशुलिपिक के पद धारकों को समायोजन में रिक्त उपलब्ध पदों के विरुद्ध परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारियों द्वारा किये जाने के पश्चात् 70 कनिष्ठ लिपिक तथा 70 वरिष्ठ लिपिक/सहायक के पद

सरप्लस हैं । नये जनपदों में शासन द्वारा महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार पदों के सृजन नहीं किये जाने के कारण समस्त पद धारकों का समायोजन सम्भव नहीं है । अस्तु ऐसे पद धारकों जिनका समायोजन चल रही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं है, का वेतन सरप्लस कर्मचारी के लिये प्राप्त बजट से आहरित करने हेतु निदेशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11—श्री मुन्ना सिंह चौहान–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला में प्रशिक्षण केन्द्र व अन्य लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित किये जाने की मांग

*12—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सरकार जनपद बलरामपुर के नगर उतरौला तहसील उतरौला के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उक्त क्षेत्र में कताई बुनाई का प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

सार्वजनिक क्षेत्र में कताई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जी हां, स्थानीय उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के परसा खेड़ा व भोजीपुरा में बन्द पड़े उद्योगों को व्यापक हित में बन टाइम सेटिलमेन्ट कराने की मांग

*13—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि इण्डस्ट्रियल एरिया परसा खेड़ा व भोजीपुरा बरेली में अधिकांश उद्योग लगभग दस वर्षों से बन्द पड़े हैं और अधिकांश लोगों पर उत्तर प्रदेश वित्त निगम व बैंकों के कर्जे चढ़े हुए हैं ? यदि हां, क्या इन बन्द उद्योगों को बकाया वसूली में बैंक व निगम की तरह व्यापक हित में उद्यमियों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र से लिये गये मार्जिन मनी ऋण का भी वन टाइम सेटिलमेन्ट कराकर आसान किस्तों में बकाया धन जमा कराने का निर्णय लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां ।

जी हां ।

मार्जिन मनी ऋण एवं अन्य ऋणों का बकायों की वसूली में सुविधा दिये जाने हेतु "वन टाइम सेटिलमेन्ट" का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[दिनांक 10-2-99 को तारां० प्र० सं०–16 द्वारा उत्तरित]

जनपद हाथरस में जिला मुख्यालय के लिये जमीन अधिग्रहण करने की जानकारी

*15—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद हाथरस में जिला मुख्यालय के लिये जमीन अधिग्रहण के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कहां और कितनी जमीन अधिग्रहीत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जमीन अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भू-उपयोग परिषद् को भेजा गया है ।

डिप्लोमा पशु चिकित्सा संघ द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु दी गयी नोटिस पर कार्यवाही की जानकारी

*16—श्री संत प्रसाद–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि डिप्लोमा पशु चिकित्सा संघ द्वारा अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिये आन्दोलन हेतु अभी हाल ही में नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं ? सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां ।

संघ द्वारा 25 मांगें प्रस्तुत की गयी हैं । विवरण संलग्न* है ।

प्रश्नगत प्रकरण में संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण कराये जाने के निर्देश निदेशक, पशुपालन विभाग को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(संलग्नक के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 87–88 पर)

प्रदेश में गेहूं किसानों को बोनस दिये जाने की मांग

*17—श्री समर पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है । यदि हां, तो कितना ? क्या किसान के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम में हुई बढ़ोत्तरी के अनुपात में यह मूल्य पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के अतिरिक्त किसानों को बोनस देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

विपणन वर्ष 1999–2000 हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य 550/- प्रति कुन्तल घोषित किया गया है।

यह मूल्य निर्धारित करने का मूल अधिकार उनकी उत्पादन लागत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18— श्री राजेन्द्र यादव–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

नव सृजित जनपद बागपत के मुख्यालय भवन बनाने के स्थान की जानकारी

1—श्री रूप चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बागपत नवसृजित जनपद बागपत का मुख्यालय भवन किस स्थान पर बनाना तय किया गया है ? इसकी बागपत शहर से दूरी कितनी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद का मुख्यालय बनाये जाने का स्थल चयन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के ग्राम मतसा के सभी किसानों को किसान बही उपलब्ध कराये जाने की मांग

2—श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी किसानों को किसान बही दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के ग्राम मतसा के सभी किसानों को किसान बही उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त ग्राम के किसानों को किसान बही उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संक्रमणिक अधिकार प्राप्त पात्र व्यक्तियों को दी गयी भूमि पर विरासत का अधिकार प्रदान करने की मांग

3—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेश योजना वर्ष 1960 द्वारा आवंटित भूमि पर पात्र व्यक्तियों को विरासत का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार संक्रमणिक अधिकार प्राप्त पात्र व्यक्तियों को दी गयी भूमि पर यू० पी० जेड० एल० आर० धारा–171 के अनुसार विरासत का अधिकार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो धारा–171 के अनुसार विरासत का अधिकार कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

विचार किया जा रहा है ।

श्री तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद, निवासी तप्पा–मैनपुरी, जनपद कुशीनगर द्वारा सुन्दर पुत्र मोसरफ के चक संख्या 1006 के कतिपय रकबा डिसिमिल की वास्तविक जांच की मांग

4—श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद, निवासी–भुलही मदारी पट्टी, तप्पा–मैनपुरी, परगना–सि० जोबना, तह०–कसया, जनपद–कुशीनगर द्वारा सुन्दर पुत्र

मोसरफ के चक संख्या–1006 (नया नम्बर–919) कुल रकबा एक एकड़ अट्ठावन डिसमिल में से अंश रकबा एक एकड़ दो डिसमिल के लिये गये पार्ट बैनामा दिनांकित 8-6-88 पंजीकृत 26-12-88 वाले प्रकरण में तत्कालीन परगनाधिकारी कसया ने पत्र दिनांकित 9-1-98 को उक्त विवादित भूमि को 168ए से बाधित मानते हुए जिलाधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से आयुक्त, राजस्व परिषद् को आख्या प्रेषित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त प्रकरण में 5 सी परमीशन के वास्तविकता की जांच के लिये आदेश पारित करने का निर्देश शासन द्वारा निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण को ज० वि० अधिनियम की धारा 168 ए से बाधित मानते हुए अन्तिम निस्तारण कर दिनांक 1-12-98 को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेश्वर सिंह राठौर, ग्राम गुराई, जनपद बदायूं के पत्र पर कृषि राज्य मंत्री के आदेशों के परिपेक्ष्य में कृत कार्यवाही की जानकारी

5—श्री शिव सिंह चक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश्वर सिंह राठौर, ग्राम गुराई, पो० कुरऊ, जनपद बदायूं के दिनांक 23-3-1998 के प्रार्थना-पत्र को मा० राज्य मंत्री कृषि ने प्रमुख सचिव, कृषि को विभाग के किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं उसके परिवार के उत्पीड़न रोकने तथा समस्त देयकों का भुगतान करने तथा शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं तथा उन बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

श्री राम जी लाल सैनी को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित करना तथा उनके समस्त देयकों का भुगतान न करना ।

श्री श्रीराम सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण एवं प्रदर्शन) मेरठ को शासन के आदेश दिनांक 26-10-98 द्वारा निन्दा प्रविष्टि दे दी गई है तथा श्री राम जी लाल सैनी के सेवा निवृत्ति के पश्चात् का यात्रा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण अवशेष अर्जित अवकाश का नकदीकरण, जी० पी० एफ० में जमा धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । श्री सैनी द्वारा सामूहिक बीमा योजना में अभिदान की धनराशि रुपया 1100/- जमा करने पर सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है ।

प्रतापगढ़ के एक विधान परिषद् के सदस्य के पत्र पर पारित आदेश के अनुसार स्वीकृत मार्गों के निर्माण की मांग

6—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान परिषद् प्रतापगढ़ के पत्र सं० 980 दिनांक 25-8-93 पर पारित आदेश वि० को० 4/6–269–132 दिनांक 31-8-93 जो 4 मार्गों के

निर्माण हेतु थे, उसकी स्वीकृतियां जमा कर दी गयी थी ? यदि हां, तो आदेश क्या थे ? उक्त आदेश के पश्चात् स्वीकृत किये गये कार्यों का आधार क्या था ?

श्री धर्मपाल सिंह–

स्वीकृतियां जमा नहीं की गयी थी बल्कि शासनादेश सं०–1291/33-3-76/90, दिनांक 5 मई, 1994 द्वारा जारी की गयी थी जो स्वीकृत मार्गों पर व्यय की गई ।

इन मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के आदेश थे ।

जनप्रतिनिधियों के अनुरोध के आधार पर आवंटन किया गया था ।

कृषि विभाग में स्नातकोत्तर कर्मचारियों को भत्ता दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश का पालन कराने की मांग

7—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के स्नातकोत्तर कर्मचारियों एवं श्रेणी दो के राजपत्रित अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या विभाग के सभी स्नातकोत्तर कर्मचारियों को यह भत्ता विया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्नातकोत्तर भत्ता के सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों का परिपालन करने हेतु कोई निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–1–927/10-265/88 दिनांक 5 जुलाई, 1989 में निहित उपबन्धों के अनुसार जिन सरकारी सेवकों को यह सुविधा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या– जी–1/1840/10-213/66, दिनांक 24 सितम्बर, 1968 में निहित शर्तों के अधीन अनुमन्य करायी गयी है, उन्हें पुनरीक्षित दर पर स्नातकोत्तर भत्ता अनुमन्य होगा । स्नातकोत्तर भत्ते से सम्बन्धित किसी नवीन प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा । तद्नुसार शासनादेश संख्या–4953/12–1-95-413/94, दिनांक 29-8-96 निर्गत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड खेसरहा को तहसील बांसी में ही रखने की मांग

8—श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा को क्या जनपद संत कबीरनगर में सम्मिलित किया जा रहा है ? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करते हुए जनहित में खेसरहा ब्लाक को बांसी तहसील में ही रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद चन्दौली जिला मुख्यालय के लिये चयनित स्थल के अधिग्रहण का मामला

9—श्री शिवपूजन राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद चन्दौली जिला मुख्यालय के लिये स्थल चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विस्तृत प्रस्ताव मांगे गये हैं, प्राप्त होने पर अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर की तह० चौरी-चौरा में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत धोबियों को उनके पेशों को देखते हुए 4 बीघा जमीन सुरक्षित किये जाने की मांग

10—श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा में कितने ग्रामों को चकबन्दी प्रक्रिया में लेकर कितने का धारा–52 का प्रकाशन हो चुका है तथा कितने का अभी बाकी है ? इस प्रकार के किन-किन गांवों में कितनी-कितनी मात्रा में कपड़ा सुखाने हेतु जमीन व किस नम्बर की पोखरी व तालाब कपड़ा धोने हेतु छोड़ा गया है ? क्या इसमें ग्राम–जंगल रसूलपुर नं०–2 भी है जहां बंगला टोला पर 5 डिसमिल जमीन कपड़ा सुखाने हेतु छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो क्या यहां धोबियों के पेशों को देखते हुए 4 बीघा जमीन सुरक्षित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के कुल 201 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी । इनमें से 110 ग्रामों में चकबन्दी कार्य समाप्त करके धारा–52 की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और वर्तमान समय में 91 ग्राम में चकबन्दी कार्य चल रहा है ।

विवरण संलग्न है ।

जी हां । आवंटित भूमि के विवरण उपर्युक्तानुसार संलग्न हैं जो प्रश्नगत ग्राम जंगल रसूलपुर नं०–2 के बंगला टोला में धोबी परिवारों की संख्या–5 तथा ग्राम के कुल धोबी परिवारों की संख्या–16 के लिये पर्याप्त है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

[संलग्नक के लिए देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 89-92 पर]

जनपद बहराइच के भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि प्रसार भवन द्वारा भूमि संरक्षण कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी में की जा रही लाखों रुपये की हेराफेरी की जांच कराने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

11—श्री संजय गर्ग तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि प्रसार भवन, बहराइच द्वारा भूमि संरक्षण कार्य में लगे मजदूरों को शासन द्वारा अनुमन्य मजदूरी नहीं दी जाती है तथा अनेक फर्जी

कार्यों को दिखाकर एवं मजदूरों की मजदूरी कम करके प्रति वर्ष लाखों रुपये की हेराफेरी की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां। भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि प्रसार भवन, बहराइच के विरुद्ध कतिपय शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। शिकायती-पत्र की जांच टेक्निकल आडिट सेल, कृषि विभाग द्वारा करायी जा रही है।

जांचोपरान्त यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर, तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा में भूखण्ड संख्या 400 व 401 के अभिलेखों में आवासीय स्थल अंकित कराये जाने की मांग

12—श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–गोरखपुर के तप्पा राजधानी,परगना–हवेली, तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा के भूखण्ड संख्या–400 व 401 में व इसके अगल-बगल के अन्य नम्बरों में सर्वश्री पोल्हन, फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद रामवृक्ष निषाद, खदेरू निषाद, सोबरी दर्जी, नेबूलाल निषाद, अजमतुल्लाह, कादिर, ललई आदि का घराना सैकड़ों वर्ष से बसा चल आ रहा है? क्या यह जमीन कुछ अन्य लोगों के नाम अंकित है ? यदि हां, तो क्या इसकी मौके की जांच कराकर आवासीय स्थल अभिलेखों में अंकित कराकर समस्या का समाधान करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

चूंकि इन नम्बरों में मकान बने हुए थे इसलिए इन्हें चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में चकबंदी अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वाद संख्या–2869 में दिनांक 14-1-92 को आदेश पारित किया है कि भूखण्ड संख्या–400 रकबा 0–121 हे० से आबादी का प्रस्तावित इन्द्राज खारिज हो तथा खाते में शामिल जोत आबादी बदस्तूर दर्ज रहे। श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने आराजी नम्बर–401 रकबा 0.125 हेक्टेयर में मकान बने होने के कारण चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति दाखिल किया कि उनका नाम उक्त आराजी में दर्ज किया जाये। जिस पर चकबंदी अधिकारी ने श्री फिरंगी प्रसाद की आपत्ति वाद संख्या–2927, दिनांक 9-9-93 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि चकबंदी अधिकारी को उनका नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति निगरानी दाखिल नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम मुकेरीपुर, पो० गोसाईगंज, तह० अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर के बाग के बढ़े खाते को नक्शे में रकबे के अनुसार ठीक कराने की मांग

13—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–मुकेरीपुर, पो०–गोसाईगंज, तह०–अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर की बाग जिसका पुराना नं०–खा० सं०–66, वर्तमान नं० खा० सं०–111 के

रकबे को पूर्ववत् यथावत रखते हुए, उक्त खाते की लम्बाई/चौड़ाई को वर्तमान नक्शे में बढ़ाकर सम्पूर्ण ग्राम की आबादी और रास्ते को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त बाग की लम्बाई/चौड़ाई नये नक्शे में किसके आदेश/निर्गत के तहत बढ़ाई गयी और क्यों ? क्या इस बढ़े बाग के चौड़ाई/लम्बाई के पास के खाते प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित बाग के खाते को वर्तमान नक्शे में रकबे के अनुसार शीघ्र ठीक करने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में जानकारी

14—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा केवल राजकीय प्रयोग हेतु प्रसारित उ० प्र० जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद–4 में क्रमांक 88 पर अंकित शासनादेश सं०–सी–114/सी एच–जी 557/59, दिनांक 5 मई, 1959 का अनुपालन मिर्जापुर जनपद के चकबन्दी कर्मियों द्वारा किये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद में चकबन्दी कर्मियों द्वारा चकबन्दी समिति के सदस्यों की खुलेआम उपेक्षा करके चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत मनमानी कार्यवाहियां सम्पादित की जा रही हैं जिससे अमुक गांवों में गम्भीर गुटबन्दी एवं तनाव का माहौल पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन के लिये उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद–4 के प्रस्तर–88 के क्रियान्वयन हेतु जारी परिपत्र संख्या–114/सी०एच०जी/557/59, दिनांक 5 मई, 1959 में निहित प्राविधानों/निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु चकबन्दी आयुक्त के परिपत्र संख्या–5019/जी–415/97-98, दिनांक 20 जुलाई, 1998 के अन्तर्गत प्रभावी यथेष्ट निर्देश मिर्जापुर सहित प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न में इंगित मिर्जापुर जनपद की समस्या के बारे में स्थिति यह है कि इस जनपद में 411 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं । इनमें से मात्र 2 ग्राम बघेड़ी तथा गोगरहा में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक निर्माण के समय चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–88 का अनुपालन नहीं किया गया है उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । शेष ग्रामों में मैनुअल के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर की ग्राम सभा परनी में खड़ण्जा निर्माण के सम्बन्ध में पत्थर (बोल्डर) के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति विषयक जानकारी

15—श्री विजय सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र के विकास खण्ड–म्योरपुर के ग्राम सभा परनी में जो खड़ण्जा निर्माण हुआ है उसमें जो ईंट प्रयोग में लाया गया है किस दर से, कहां से कितने तादाद में क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त खड़ण्जा परनी बांध के स्क्रेप के पत्थर (बोल्डर) से बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या पत्थर (बोल्डर) प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी थी ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर की ग्राम सभा परनी के खड़ण्जा निर्माण में ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है।

जी नहीं।

इस खड़ण्जा निर्माण में परनी बांध के स्क्रेप पत्थर (बोल्डर) का प्रयोग नहीं किया गया है। अपितु स्थानीय सप्लायर से पत्थर बोल्डर क्रय करके खड़ण्जा निर्माण किया गया है।

पर्वतीय जनपद होने के कारण खड़ण्जा मार्ग का निर्माण पत्थर बोल्डर से किया गया है। इसके लिये अनुमति विशेष की आवश्यकता नहीं है।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के छात्रावास में रह रहे छात्रों को दिये जा रहे घटिया भोजन की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

16—श्री ओम प्रकाश यादव–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में छात्रावास में रह रहे छात्रों को घटिया किस्म का भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री मोहन सिंह रावत गांववासी का पत्र संख्या 272953, दिनांक 3-12-1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है ? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? क्या वर्ष 1998-99 की खाद्य सामग्री का टेण्डर कराया जाना प्रस्तावित है।

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

हां।

वरिष्ठ आई० ए० एस० स्तर के अधिकारी द्वारा।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टेण्डर कराया जा चुका है।

जनपद गोण्डा व बलरामपुर में कार्यरत वरिष्ठ लेखपालों को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राजस्व निरीक्षक पद पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

17—श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा व बलरामपुर में कितने कनिष्ठ लेखपाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अथवा स्थगन आदेश से राजस्व निरीक्षक पद पर सन् 1988 से कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनसे वरिष्ठ कितने लेखपाल हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त स्थगन आदेश समाप्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, कुल चार लेखपाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से राजस्व निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं, जिनमें सर्वश्री उमेश कुमार, कृष्णपाल सिंह, घनश्याम पाण्डे, जनपद बलरामपुर में तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी जनपद गोण्डा में तैनात हैं।

श्री नफीसुल हसन, लेखपाल एकमात्र ऐसे लेखपाल हैं, जो श्री कृष्णपाल सिंह से कनिष्ठ किन्तु अन्य तीनों लेखपालों से वरिष्ठ हैं, उन्हें तहसील [illegible]

लेखपाल पद के साथ-साथ राजस्व निरीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त कराया गया किन्तु पात्र राजस्व निरीक्षक उपलब्ध होने पर इनसे राजस्व निरीक्षक के दायित्व ले लिये गये, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संस्थित की गयी, जिसमें पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-7-91 का परीक्षण करने के उपरान्त इन्हें राजस्व निरीक्षक के पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । समान बिन्दुओं पर इनके द्वारा वर्ष 1993 में पुनः याचिका संस्थित की गयी ।

जी, हां ।

प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम हरिपुर टोगिया के नागरिकों को पक्का मकान बनाने का अधिकार न दिये जाने का मामला

18—श्री जगदीश राणा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम हरिपुर टोगिया के नागरिकों को अपनी ही आवासीय भूमि पर पक्का मकान बनाने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

टोगिया पद्धति शिवालिक वन प्रभाग में वर्ष 1930-31 से प्रारम्भ हुई जिसके अनुसार स्वेच्छा से आये व्यक्तियों को वृक्षारोपण हेतु लगभग 1/2 एकड़ जमीन प्रति परिवार को लगभग तीन वर्ष के लिये दी जाती थी, जिसमें वे वृक्षारोपण करते थे व वृक्षारोपण लाइन के मध्य रिक्त भूमि में अनाज उगाते थे । तीन वर्ष पश्चात् जब वन प्रजाति के पौधे खड़े हो जाते थे व छाया के कारण खेती करना सम्भव नहीं होता था तब उन्हें नये वृक्षारोपण क्षेत्र दिये जाते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक-एक एकड़ भूमि कृषि उपज बोने हेतु रियायती (लीज) पर दी जाती थी । प्रत्येक परिवार को रहने हेतु कच्चा छप्पर युक्त मकान बनाने के लिये निःशुल्क घास व लकड़ी दी जाती रही । इससे स्पष्ट है कि इन्हें पक्का आवास उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त नहीं है, न ही ये अपने स्तर से कोई निर्माण कार्य वन भूमि पर कर सकते हैं । हरिपुर टोगिया वन क्षेत्र का ग्राम है ।

उ० प्र० राजस्व विभाग के पिछले पांच वर्षों के आय-व्यय के विवरण की जानकारी

19—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में राजस्व आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? इसी अवधि में व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पिछले पांच वर्षों में राजस्व आय में वर्षवार वर्ष 1993-94 में 20.83% की कमी हुई तथा वर्ष 1994-95 में 12.65%, वर्ष 1995-96 में 16.23%, वर्ष 1996-97 में 16.16% की वृद्धि हुई एवं वर्ष 1997-98 में 8.34% की कमी हुई है ।

वर्ष 1993-94 में 10.7%, वर्ष 1994-95 में 4.76, वर्ष 1995-96 में 24.68%, 1996-97 में 9.34% तथा वर्ष 1997-98 में 20.47% की वृद्धि हुई है ।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि दिलाने की मांग

20—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में 1-1-97 से 15-6-98 के बीच में किस-किस ग्राम सभा में किन-किन व्यक्तियों के घरों एवं जानवरों की क्षति आग से हुई है ? सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रभावित व्यक्तियों को सहायता के रूप में प्रदत्त

की गयी ? क्या तमाम पीड़ित व्यक्तियों का नाम छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार शासन स्तर से कोई दल भेजकर तहसील की सूची का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में दिनांक 1-1-97 से दिनांक 15-6-98 के बीच अग्निकाण्ड से कुल 1018 घरों एवं 44 जानवरों की क्षति हुई । विस्तृत सूची मा० सदस्य (प्रश्नकर्ता) को भेज दी गयी है ।

उक्त अवधि में अग्निकाण्ड से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में 4,43,800/- रु०, गृह अनुदान में, रु० 3,15,050 तथा अनुग्रह सहायता में रु० 1,29,560/- वितरित किया गया है।

नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को सहायता दी गयी ।

प्रभावित व्यक्तियों को सहायता वितरण में अनियमितताओं का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। अतः भौतिक सत्यापन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में किसान जोतबही शत-प्रतिशत वितरित कराने की मांग

21—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने तथा मुख्य मंत्री जी ने 30 सितम्बर, 97 से 5 जून, 1998 के बीच में समस्त जिलाधिकारियों को यह शासनादेश निर्गत किया है कि किसान जोत-बही एक समय सीमा के अन्तर्गत वितरित कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद–बलरामपुर में किसान जोत बही शत प्रतिशत वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर को जिला स्तर से कुल 1,13,350 किसान बहियां प्राप्त हुई थी। चकबन्दी एवं अभिलेख प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामों के काश्तकारों एवं कतिपय व्यावसायिक उद्देश्य से बाहर रहने वाले काश्तकारों को छोड़कर शेष सभी काश्तकारों को शत प्रतिशत किसान बहियां वितरित कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत श्री मोतीलाल, लेखाकार को तत्काल लेखाकार के पूर्व पद पर ज्वाइन न कराने से हुई आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति की मांग

22—डा० कौशल किशोर–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मोतीलाल, लेखाकार, कृषि निदेशालय, लखनऊ का विधायक डा० उमर की शिकायत पर 26 अगस्त, 1987 को किया गया स्थानान्तरण तत्कालीन मुख्य मंत्री (स्व० श्री वीर बहादुर सिंह) ने 2 मई, 1988 को निरस्त करके कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच कराने और तत्काल लेखाकार के पूर्व पद पर ज्वाइन कराने के आदेश दिये थे, परन्तु आज तक इस कर्मचारी को विभाग द्वारा ज्वाइन नहीं कराया गया, जबकि 30 जून, 1998 को इनकी आयु 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारी की आर्थिक हानि व पदहानि की क्षतिपूर्ति की जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध शिकायत तथा कथित शिकायत पर जांच कराने तथा इनका स्थानान्तरण रोक देने के आदेश दिये गये थे।

जांचोपरान्त इन्हें पूर्व नियुक्त स्थान जहां से इन्हें पहले कार्यमुक्त किया जा चुका था, पर पुनः नियुक्त करने का औचित्य नहीं पाया गया। निरन्तर 5 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 26-12-92 द्वारा उनकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। अतः अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत चिउटहा के ग्राम मेहनुआ में पंचायत भवन के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

23—श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–126 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त ग्राम पंचायत चिउटहा के ग्राम मेहनुआ में पंचायत भवन का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पंचायत भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

ग्राम पंचायत चिउटहा के ग्राम मेहनुआ में पंचायत भवन के निर्माण हेतु माह जनवरी, 1999 में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। ग्राम पंचायत चिउटहा के प्रधान द्वारा उक्त पंचायत भवन को दिनांक 15-3-99 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी कार्यालय तथा तहसील नौगढ़ के उपजिलाधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिकीय संवर्ग के स्थानीय कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

24—श्री मो० मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति में समूह "ग" की तैनाती उनके स्थानीय तहसील में न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के कार्यालय एवं उप जिलाधिकारी, तहसील नौगढ़ कार्यालय में कितने लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी उक्त नीति के विपरीत अपनी तहसील में तैनात हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जिलाधिकारी कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 14 कर्मचारी तथा उपजिलाधिकारी, तहसील नौगढ़ कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 07 कर्मचारी तैनात हैं।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य तहसील में कर दिया जायेगा।

ग्राम सोरों, परगना–मह, तह० हंडिया, जनपद इलाहाबाद में जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में जांच की मांग

25—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इलाहाबाद के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी, इलाहाबाद को 2 दिसम्बर, 1995 को ज्ञापन देकर मांग की गयी थी कि ग्राम प्रधान श्रीमती सिन्धू सिंह पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी–ग्राम सोरों, परगना–मह, थाना–सराय ममरेज,

तहसील–हंडिया, जिला–इलाहाबाद द्वारा भूखण्ड संख्या–2071 रकबा 0.354 और 1843 रकबा 3 बिस्वा पर अवैधानिक तरीके से किये गये कब्जे के सम्बन्ध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर ग्राम प्रधान एवं उनके पति के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई गई । जांच में भूखण्ड सं०–2071/0–354 ग्राम सोरों, परगना–मह, तहसील–हंडिया, जनपद–इलाहाबाद आवंटित भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने वाले वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बृजेश कुमार सिंह के विरुद्ध थाना सराय ममरेज, जनपद इलाहाबाद में धारा 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 96/97 अपराध सं०–144/97 दर्ज कराई गई है ।

भूखण्ड सं०–1843/0–033 हेक्टेयर गांव सभा की भूमि (दरखतदार बंजर) है । अवैधानिक रूप से कब्जा करने वाले वीरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध 122 बी० जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का वाद सं०–73 न्यायालय तहसीलदार हंडिया, इलाहाबाद में योजित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र, स० वि० स० द्वारा सचिव, पशुधन को प्रेषित पत्र के अनुसार पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

26—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1997 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 97 जो कि सचिव, पशुधन को सम्बोधित थे और जो पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में भेजे गये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति के अनुरूप पत्रों में निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र चिकित्सालय खोलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां ।

ग्राम सभा–सम्मुख, विकास खण्ड माधोगंज में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव जनपद हरदोई की जिला योजना वर्ष 1998-99 में किया गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय स्थिति में प्रश्नगत पशु चिकित्सालय का जिला योजना, वर्ष 98-99 में खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद एटा के जिला पंचायत द्वारा संचालित अड्डा/पड़ाव के रोके गये ठेके के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पंचायत, एटा के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27—श्री नेतराम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–एटा के जिला पंचायत द्वारा संचालित अड्डा/पड़ाव के ठेके वर्ष 1998-99 सभी औपचारिकतायें पूरी होते हुए भी जिला प्रशासन द्वारा रोक दिये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पंचायत, एटा का पत्र प्रश्नकर्ता को संस्तुति सहित सचिव, पंचायती राज को माह सितम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके जांच के परिणाम क्या हैं ? जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण जिला पंचायत, एटा को कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, मोटर आपरेटर्स यूनियन एटा तथा श्री शिवनारायण गुप्ता, एडवोकेट द्वारा जिला पंचायत, एटा द्वारा अवैध तरीके से ठेके की नीलामी करके वसूली करने की शिकायत प्राप्त होने पर उभय पक्षों की सुनवाई करके जिला अधिकारी द्वारा 23-6-98 को अवैध रूप से की जा रही वसूली को रोकने के आदेश दिये गये थे । बाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-7-97 द्वारा जिला पंचायत एटा को वसूली करने से रोका गया है जिसकी पुष्टि पुनः आदेश दिनांक 9-3-98 द्वारा की गयी है ।

जी हां, परन्तु जब तक मा० उच्च न्यायालय द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय नहीं पारित कर दिया जाता तब तक विधिक दृष्टिकोण से कोई अन्य कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, ग्राम बरेहरा में अनु० जा० के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-98 जो उप जिलाधिकारी, सदर, बांदा को सम्बोधित था तथा तहसील सदर, बांदा, विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम बरेहटा के अनु० जा० के लिये आरक्षित आबादी गाटा सं–255, 252, 253 में अवैध कब्जा हटाकर गांव की भूमि सुरक्षित किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में बन्दोबस्त अधिकारी कार्यालय के चपरासी श्री रामजीत वर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को पेंशन के भुगतान शीघ्र किये जाने की मांग

29—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में कार्यरत श्री रामजीत वर्मा, चपरासी की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं,तो क्या मंत्री जी उक्त मृतक कर्मचारी के पेंशन का शीघ्र भुगतान करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

स्व० श्री रामजीत वर्मा, चपरासी की पत्नी से निर्धारित प्रपत्र पर पेंशन प्रार्थना-पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र तथा उनकी फोटो की मांग की गयी है । वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला पौड़ी के नये तहसील भवन का निर्माण कराने की मांग

30—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी जिले की पौड़ी तहसील का भवन 1994 में उत्तरांचल आन्दोलन में जल गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नये तहसील भवन निर्माण का प्राक्कलन शासन में लम्बित है ? यदि हां,तो उक्त भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मामले में प्राक्कलन के आधार पर धनराशि स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

जनपद पौड़ी के उपगांव अन्दपुर को राजस्व गांव बनाये जाने की मांग

31—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत ग्राम–किमगढ़ी, पट्टी–किमगढ़ीगाड का एक उपगांव अन्दपुर को पूर्णरूपेण राजस्व गांव बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अन्दपुर को राजस्व गांव कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद्, लखनऊ में कार्यरत सहायक लेखाकारों के सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में शासन की नीति की जानकारी

32—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद्, लखनऊ में कार्यरत सहायक लेखाकारों का सम्बद्धीकरण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार, राज्य मंत्री, उ० प्र० एवं सदस्य, विधान परिषद् के विभिन्न पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार मुख्यालय (लखनऊ) से मण्डलों अथवा जिले में कर्मचारियों को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो सम्बद्ध किये गये सहायक लेखाकारों के सम्बद्धीकरण के आदेश कब तक निरस्त कर दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कार्यरत सहायक लेखाकारों के सम्बद्धीकरण हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार से कोई पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है । मा० राज्य मंत्री एवं सदस्य, विधान परिषद् के पत्र परिषद् में प्राप्त हुए हैं ।

विचारोपरान्त राजस्व परिषद् द्वारा सम्बद्धीकरण आदेश स्थगित कर दिया गया है ।

परिषद् मुख्यालय एवं मण्डलीय कार्यालय के सहायक लेखाकारों का एक ही सम्वर्ग है तथा इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है ।

शासन की यह नीति है कि कार्य की आवश्यकता के अनुरूप नये पदों की स्वीकृति करने के बजाय कर्मचारियों का रिइम्प्लायमेंट/सम्बद्धीकरण कर कार्य का सुचारु सम्पादन सुनिश्चित किया जाय । परिषद् के पेंशन स्वीकृति के अधिकार को नवम्बर, 1997 में मण्डलों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया, परन्तु इस कार्य हेतु अतिरिक्त पद शासन द्वारा सृजित नहीं किये गये । अतः मण्डलों में इस कार्य के

सुचारु सम्पादन हेतु कर्मचारियों का सम्बद्धीकरण/स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार किया गया। सम्बद्धीकरण के आदेश अभी निरस्त नहीं किये गये हैं और न ही इस समय इन्हें निरस्त किये जाने का प्रस्ताव है।

जिला सुल्तानपुर, कृषि अधिकारी के अधीनस्थ निलम्बित कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान किये जाने की मांग

33—श्री कोविद कुमार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर के अधीनस्थ ऐसे कितने निलम्बित कर्मचारी हैं जिन्हें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता न देकर पुरानी दर पर भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार निलम्बित कर्मचारी को संशोधित दर पर जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मात्र दो कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता पुराने दर पर भुगतान किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या—357/दस—211(एम)/87, दिनांक 31-12-97 के प्रस्तर—2 तथा प्रस्तर—5(3) के प्राविधानों के अनुसार उक्त शासनादेश जारी होने के पूर्व के निलम्बित कर्मचारियों को पुरानी दर पर ही जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है।

तहसीलदार मिल्कीपुर, तहसील मिल्कीपुर द्वारा मृतक रामराजी बेवा स्वर्गीय राम स्वरूप की दो पुत्रियों श्रीमती शिवनाथ देवी तथा श्रीमती ब्रह्मा देवी के पुत्रों के नाम विरासत दर्ज करने विषयक आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

34—श्री चेत राम—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 17-7-97 के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या—3 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक रामराजी बेवा स्वर्गीय राम स्वरूप की दो पुत्रियों श्रीमती शिवनाथ देवी व श्रीमती ब्रह्मा देवी के पुत्रों के नाम खाता संख्या—485 एवं 488 की वरासत दर्ज करने विषयक आदेश न्यायालय तहसीलदार, मिल्कीपुर, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद द्वारा पारित किया गया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? क्या उक्त पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार, मिल्कीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-6-97 के अनुसार गाटा संख्या—407 रकबा दो बीघा दस बिस्वा, गाटा संख्या—550 व रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा लगानी 29-90 रु० 15-60 रु० स्थित ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद पर अंकित पूर्व खातेदार रामराजी बेवा रामस्वरूप के स्थान पर श्रीमती शिवनाथ के पुत्र का पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार नाबालिग पुत्र राम समुझ व राम औतार दुखीराम, रामराज पुत्रगण राम भरोसे तथा श्रीमती ब्रह्मा देवी के पुत्र राम नेबल पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम धरौली वाशिंद हालपुरा उर्फ सुमेरपुर के नाम वरासतन बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के आदेश के साथ ही भूलेख निरीक्षक का आदेश दिनांक 20-12-88 निष्प्रभावी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा सुनौआ में गाटा सं०–164, 165 वर्तमान प्रधान द्वारा बेचे जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराये जाने की मांग

35—श्री चेत राम–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के ग्राम पसगवां अन्तर्गत ग्राम सभा सुनौआ में गाटा सं०–164, 165 की भूमि चकबन्दी के दौरान वै० फा० स्कूल के लिये आवंटित की गयी थी जिसे वर्तमान प्रधान द्वारा बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा सं०–164 स्कूल के लिये आरक्षित तथा गाटा सं०–165 नवीन परती के रूप में छोड़ा गया है। इन्हें वर्तमान प्रधान द्वारा बेचा नहीं गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर एच० बी० टी० आई० के अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की प्रयोगशाला में कार्यरत अस्थाई प्राविधिक सहायकों को बिना विनियमित किये प्रोन्नति दिये जाने का मामला

36—श्री राम नक्षत्र–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ व अस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिकों को बिना विनियमितीकरण किये हुए प्रोन्नति दिये जाने का प्राविधान है । यदि नहीं, तो क्या एच० बी० टी० आई० कानपुर के अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की प्रयोगशाला में कार्यरत तदर्थ व अस्थायी प्राविधिक सहायकों को शासनादेश संख्या–7523/तेरह–690/75, दिनांक 24-4-78 के अनुपालन में विनियमित किया गया है ? क्या यह सही है कि उन प्राविधिक सहायकों को बिना विनियमित किये प्रोन्नतियां दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 24-4-78 के क्रम में जारी शासनादेश सं०–119 ई–1/तेरह–690/75, दिनांक 13 फरवरी, 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत सहायकों को आबकारी आयुक्त संगठन में संविलीन करने की कार्यवाही की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की विभिन्न तहसीलों में लम्बे समय से तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण की मांग

37—चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विभिन्न तहसीलों में कितने लेखपाल ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में 3 वर्षों से अधिक समय से तथा एक ही तहसील में 12 वर्षों से तैनात हैं ? और क्यों ? सरकार ऐसे समस्त लेखपालों के स्थानान्तरण कब तक अन्यत्र स्थानों पर कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शहरी क्षेत्रों में 3 वर्षों से अधिक अवधि से 8 लेखपाल एवं एक ही तहसील में 12 वर्षों से 2[illegible] लेखपाल तैनात हैं ।

उक्त लेखपालों का स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार किये गये थे । किन्तु उनकी पारिवारिक एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के आदेशों से आगामी सत्र तक के लिये स्थगित है ।

आगामी सत्र में नियमानुसार स्थानान्तरण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के सेवा निवृत्त लेखपाल श्री नजीर उद्दीन को जी० पी० एफ० तथा सामूहिक बीमा भुगतान की माँग

38—चौ० रवीन्द्र प्रताप–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–76 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा निवृत्त लेखपाल द्वारा प्रपत्र–425 (क) तथा नमूना हस्ताक्षर कर दिये जाने के उपरान्त भी उन्हें अब तक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा की धनराशि तथा दस प्रतिशत भविष्य निधि के पैसे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस विलम्ब का दोषी कौन है ? उक्त सेवा निवृत्त लेखपाल की अवशेष समस्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

लेखपाल श्री नजीर उद्दीन द्वारा 425 (क) तथा नमूना हस्ताक्षर कर दिये जाने के पश्चात् अवशेष 10 प्रतिशत जी० पी० एफ० की स्वीकृति हेतु 30-6-98 को महालेखाकार इलाहाबाद को लिखा गया है । प्रकरण महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद में लम्बित है ।

सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान हेतु प्रपत्र 31-3-94 एवं अनुस्मारक 24-7-97, 25-9-98, 11-1-99 निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय लखनऊ को भेजा जा चुका है । स्वीकृति प्रतीक्षित है ?

स्वीकृति महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद एवं बीमा निदेशालय लखनऊ स्तर पर लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में उपमण्डी समिति के निर्माण कराये जाने की माँग

39—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में उपमण्डी समिति नवाबगंज के निर्माण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त मण्डी समिति का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हाँ ।

उपमण्डी स्थल नवाबगंज के निर्माण हेतु प्रथम चरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री संतोष कुमार शुक्ल, वरिष्ठ अमीन को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

40—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री संतोष कुमार शुक्ल, वरिष्ठ अमीन को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26/27 अप्रैल, 1998 मा० मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री संतोष कुमार शुक्ल, संग्रह अमीन ने नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका सं० 37002/94 योजित किया था । रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-5-97 के परिप्रेक्ष्य में श्री शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिषद् के आदेश दिनांक 6-6-98 द्वारा निस्तारित कर दिया गया । परिषद् के निर्णय के विरुद्ध श्री शुक्ल ने मा० उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया है, जिसका उत्तर दाखिल किया जा चुका है और प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है ।

41—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रत्येक तहसील के एक गांव में वैज्ञानिक तरीके से खेती कर आदर्श ग्राम बनाने की योजना

42—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक तहसील के एक गांव में वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उसे आदर्श ग्राम बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या उसे कार्य रूप दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वैज्ञानिक आधार पर खेती की योजना रबी 1995-96 से प्रत्येक पुरानी तहसील के एक गांव में चल रही है ।

योजना पहले से चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त श्री राम सेवक लाल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, तहसील सलोन, जिला रायबरेली के अवशेष देयों का भुगतान किये जाने की मांग

43—श्री राजेश कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम सेवक लाल श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार, तहसील सलोन, जिला–रायबरेली दिनांक 30-4-93 को सेवा निवृत्त हुए थे परन्तु उन्हें अभी तक उनके देयों का भुगतान नहीं किया गया है और न ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अवशेष देयों एवं पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां श्री राम सेवक लाल दिनांक 30-4-93 को सेवा निवृत्त हुये थे और अन्तिम रूप से पेंशन राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 28-8-98 के द्वारा स्वीकृत हो चुका है । जिसके अनुसार उन्हें अन्तिम ग्रेच्युटी/राशिकरण का भुगतान दिनांक 10-11-98 को किया जा चुका है ।

भविष्य निर्वाह निधि का 90 प्रतिशत की धनराशि रु० 28,866 का भुगतान किया जा चुका है ।

अवकाश लेखे में जमा अवकाश के बदले नकदीकरण की धनराशि अंकन रु० 20,754 का भुगतान कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवशेष 10 प्रतिशत जी० पी० एफ० का भुगतान महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद एवं सामान्य बीमा के भुगतान की कार्यवाही बीमा निदेशालय में लम्बित है ।

ग्राम खेड़ा, परगना कोट, तहसील सहसवान/बिल्सी, जनपद बदायूं में पुनः चकबन्दी कराये जाने की मांग

44—श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खेड़ा, परगना कोट, तहसील–सहसवान/बिल्सी, जनपद–बदायूं में पुनः चकबन्दी कराये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, बदायूं का प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ था और चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्र संख्या–2930/मी–610/77, दिनांक 10 जुलाई, 1977 द्वारा शासन को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4–क (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो शासन स्तर पर अधिसूचना जारी करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण चूंकि नीतिगत है अतः कतिपय बिन्दुओं पर चकबन्दी आयुक्त से अभी स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

चन्दौली कनक सिंह आदि गांवों में ऊसर सुधार निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में धांधली आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिये गये पत्र पर जांच की कार्यवाही की मांग

45—श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री चन्द्र प्रकाश सिंह आदि ग्राम चन्दौली, शाहगढ़, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरि-पत्र के साथ दिनांक 31-9-98 को दिया गया, जिसमें चन्दौली कनक सिंह आदि गांवों में ऊसर सुधार निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में धांधली तथा जिप्सम को खुली बाजार में बेचने की गम्भीर शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांचोपरान्त किस-किस को दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवराज सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह, निवासी ग्राम मण्डरा, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर को फर्जी देवराज बनकर जमीन हड़पने की शिकायत

46—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री देवराज सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह निवासी–ग्राम–मण्डरा, तहसील–सदर, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-8-98 जो अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) को सम्बोधित है तथा जिसमें चकबन्दी अधिकारी सदर के न्यायालय में फर्जी देवराज बनकर फर्जी सुलह के आधार पर जमीन हड़पने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में निर्मित न होने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने हेतु परिपक्व नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

47—श्री अफजाल अहमद–

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं०–155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत बहुताचक उपाध्याय गांव के बाढ़ग्रस्त परिवारों को चेक जारी करने में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने की मांग

48—श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत बहुताचक उपाध्याय गांव बाढ़ की चपेट में भयंकर रूप से इस बरसात में आ गया था ? क्या यह सही है कि स्थानीय लेखपाल व कानूनगो द्वारा तीन सौ से ऊपर परिवारों की सूची बनाकर जिला प्रशासन को दी थी ? क्या उसमें से कुछ ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के कई-कई नाम से चेक एस० डी० एम०, सीयर द्वारा जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

लेखपाल व कानूनगो द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के 170 परिवारों को चेक एस० डी० एम० बेल्थरा रोड द्वारा वितरित किया गया था । एक ही परिवार के कई सदस्यों को चेक नहीं दिया गया था । जिन्हें चेक वितरित किया गया है वे अपने परिवार को लेकर अलग-अलग रहते हैं ।

चेक वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है । इसलिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है ।

शासनादेश के अनुसार दस वर्ष से अधिक सेवा करने वाले दैनिक कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने का मामला

49—श्री राम तेज यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश एवं 1998 जिसमें 10 वर्ष से ऊपर सेवा करने वाले दैनिक कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने सम्बन्धी है, के अनुपालन में क्या

कार्यालय राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कार्यशाला, चिनहट, लखनऊ में वर्ष 1987 से कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

10 वर्ष से ऊपर सेवा करने वाले दैनिक कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने सम्बन्धी कोई भी शासनादेश वर्ष 1998 में जारी नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998-99 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी सहायता के रूप में धनराशि का उचित वितरण किये जाने का मामला

50—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 के बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन कर, लिया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने जन-धन की हानि हुई ? सरकार से प्राप्त सहायतार्थ धनराशि का उचित हाथ में वितरण हो इसके लिये क्या उपाय किये गये ? गाजियाबाद जिले के धौलाना ब्लाक में जल प्लावन से कितने ग्राम प्रभावित हुए तथा सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सहायतार्थ धनराशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

वर्ष 1998-99 की बाढ़ से प्रदेश में कुल 1390 मनुष्यों एवं 3385 पशुओं की मृत्यु हुई है तथा रु० 2139.49 करोड़ की लगभग हानि हुई है ।

शासन स्तर से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् एवं प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को यह निर्देश हैं कि वह आकस्मिक स्थलीय निरीक्षण करें तथा राहत वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

गाजियाबाद जिले के धौलाना ब्लाक के 13 ग्राम जल प्लावन से मुख्यतः प्रभावित हुए थे जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को सहायता के रूप में रु० 1,56,800 वितरित किया गया है ।

सहायता हेतु प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग का कोई मामला शासन के संज्ञान में नहीं आया है ।

51—श्री महराज सिंह यादव–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में द्वितीय चक्र की चकबन्दी किये जाने की योजना की जानकारी

52—श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम चक्र की चकबन्दी पूर्ण होने के कितने वर्ष के अन्तराल के बाद द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने का प्राविधान है ? क्या जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज में द्वितीय चक्र चकबन्दी यथाशीघ्र कराने की कोई योजना हैं ? यदि हां, तो कब से चकबन्दी कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रथम चक्र की चकबंदी पूर्ण होने के उपरान्त जोत चकबंदी अधिनियम की धारा–4क(1) में दिये गये प्राविधान के अनुसार 20 वर्ष के उपरान्त किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में 10 वर्ष के उपरान्त द्वितीय चक्र की चकबंदी लागू कर सकती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ को जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4क(1) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबंदी में लेने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री जे० एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के अनुसार सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने विषयक जानकारी

53–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० एल० बजाज कमेटी ने सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने की संस्तुति शासन को प्रेषित की है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने हेतु निदेशक पंचायती राज उ० प्र० ने भी शासन को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय स्थिति में नये पदों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद रायबरेली से ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा राशि फण्ड आदि भुगतान कराये जाने की मांग

54–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–रायबरेली से दिनांक 31-12-93 को श्री अमरनाथ सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या इन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमाराशि, फण्ड आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस मद से ? विगत तीन वर्षों में उक्त कर्मचारी द्वारा कितने प्रत्यावेदन शासन को दिये गये तथा उन पर कोई कार्यवाही न होने के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार उक्त भुगतान तत्काल सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । अनन्तिम पेंशन अंकन रु० 15675.00 दिनांक 19-9-95 को, ग्रेच्युटी अंकन रु० 23,900.00 दिनांक 19-9-95 को अर्जित अवकाश नकदीकरण अंकन रु० 15834.00 दिनांक 8-8-94 को, जी० पी० एफ० (फण्ड) अंकन रु० 36,063.00 दिनांक 12-12-96 को एवं बीमा राशि अंकन रु० 6313.00 दिनांक 7-10-97 को सम्बन्धित मदों से भुगतान किया जा चुका है । अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण भुगतान का आदेश दिनांक 14-2-97 को जारी किया जा चुका है ।

पौड़ी नगर के अपर बाजार में अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि स्वीकृत किये जाने की मांग

55—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी नगर के अपर बाजार में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु माननीय मुख्य मंत्री ने प्रमुख सचिव, राजस्व एवं अभाव को दिनांक 28-4-98 को निर्देश दिये थे ? क्या श्री अनिल बहुगुणा अपर बाजार पौड़ी की दुकान अग्निकाण्ड को बुझाने हेतु तोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री अनिल बहुगुणा की मांग के अनुसार राहत राशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

दिनांक 11-4-98 को पौड़ी नगर के अपर बाजार में अज्ञात कारणों से श्री चन्द्र भूषण सिंह के मकान में आग लग गई जिससे उक्त भवन पूर्णतया जलकर राख हो गया । इस भवन से सटे हुए भवन जिस पर श्री अनिल बहुगुणा की दुकान थी, में आग लगने की आशंका से जनता द्वारा तोड़ दी गयी तथा दुकान का सामान बचा दिया गया । दुकान से सामान निकालते समय कुछ सामान नष्ट हो गया था जिसका मूल्य लगभग 50,000/- आंका गया था । चूंकि यह अग्नि दुर्घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये राहत सहायता प्रदान नहीं की गयी ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर के ग्राम ससपना के प्लाट नं०—2247 पर पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में

56—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर के ग्राम—ससपना के प्लाट नं०—2247 कितने रकबे का है ? उसकी कितनी भूमि का पट्टा किया गया है ? क्या पट्टेदारों को अब तक कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नम्बर की भूमि में कितनी भूमि अनाधिकृत कब्जेदार के पास है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

(क) प्रश्नगत प्लाट नम्बर 2247 का रकबा 95.174 हे० है ।

(ख) उसकी 7.391 हे० भूमि पर अब तक पट्टा किया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) दिनांक 21-10-98 से 29-1-99 के मध्य विभिन्न तिथियों में कब्जा दिलाया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) उक्त प्लाट नम्बर की 7.012 हे० भूमि अनाधिकृत कब्जेदारों के पास है, जिनके विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा—122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में कार्यरत श्री रामचन्द्र सिंह के रोके गये वेतन के भुगतान की मांग

57—श्री राम प्यारे सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, आजमगढ़ का वेतन दिनांक 26-7-91 से 13-8-91 एवं 5-1-92 से 18-6-92 तक

रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त 190 दिन का वेतन उन्हें दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण ।

श्री राम चन्द्र सिंह के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अवधि का उनके द्वारा अवकाश प्रार्थना प्राप्त प्रस्तुत करने पर नियमानुसार उन्हें अवकाश स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अम्बेडकर नगर में श्री नूरुल हसन की तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति की मांग

58—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नूर हसन, वर्तमान तहसीलदार, तहसील आलापुर, जिला–अम्बेडकर नगर की नियुक्ति वरिष्ठता सूची के आधार पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, श्री नूरुल हसन की तहसीलदार पद पर प्रोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति दिनांक 1-7-94 को परिषद् द्वारा ज्येष्ठता सूची के आधार पर ज्येष्ठता क्रम में की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित ग्रामों के लम्बित मुकदमों के निस्तारण की मांग

59—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर में कितने वर्षों से 122 बी के मुकदमें लम्बित हैं तथा वे किन-किन गांवों के हैं ? कितने मुकदमों में अब तक लेखपालों के बयान हुए ? मुकदमें इतने वर्षों से लम्बित होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) तहसील–अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित 210 ग्रामों के दिनांक 20-7-87 से धारा 122 बी के अन्तर्गत 772 वाद लम्बित हैं, ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(ख) अब तक 60 मुकदमों में लेखपालों के बयान हुए हैं ।

(ग) प्रशासनिक व राजस्व कार्यों की अधिकता आपत्तिकर्तागण द्वारा अपना साक्ष्य देने में विलम्ब करना व बार-बार समय मांगना तथा अधिवक्ताओं द्वारा प्रायः कार्य से विरत रहना आदि वादों के लम्बे समय तक लम्बित रहने के मुख्य कारण हैं ।

(देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 93–96 पर)

उ० प्र० में मण्डी परिषद् कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

60—डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में मण्डी परिषद् कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सेवा नियमावली बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । उक्त सेवा नियमावली 1984 दिनांक 1 अगस्त, 1984 से ही प्रवृत्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन, एरियर, नकदीकरण आदि के भुगतान की मांग

61—श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के पत्रांक ए० बी० (1)/1618/वि–2, दिनांक 1-10-1996 में उल्लिखित कर्मचारियों को 11-1-1980 से 29-5-1980 तक पदोन्नति अवधि का मासिक वेतन एरियर, नकदीकरण का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया जा रहा है ? सरकार प्रश्नगत अवधि के अवशेष मासिक वेतन एरियर व नकदीकरण का भुगतान कब तक करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि निदेशालय के आदेश संख्या–ए० बी०(1)/1618/वि–2, दिनांक 1-10-1996 की संलग्न सूची में उल्लिखित कर्मचारियों को तदर्थ नेशनल प्रोन्नति उनसे कनिष्ठ सदस्यों की तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से इस प्रतिबन्धों के साथ दी गयी थी कि उन्हें प्रश्नगत अवधि का अवशेष वेतन देय नहीं होगा परन्तु नियमानुसार उन्हें वेतन वृद्धियों का तथा वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण ।

उप निदेशक कृषि (प्रसार) उन्नाव के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन प्रत्येक माह विलम्ब से वितरण किये जाने की शिकायत

62—श्री राम पाल वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–39 व द्वितीय गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–38 के उत्तरों के अनुक्रम में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में कार्यरत कृषि सेवा श्रेणी–1–2 के अधिकारी श्री राम सनेही आजाद व श्री वी० के० सचान को फरवरी, 1997 से जुलाई, 1997 तक का मासिक वेतन किस-किस तिथि को उन्नाव ट्रेजरी को भेजा गया तथा किस तिथि में रुपया बैंक से आहरित करके किस तिथि में कर्मचारी को भुगतान किया गया था ? विलम्ब से वेतन के भुगतान के कारण क्या हैं ? क्या कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों व अधिकारियों की जी० पी० एफ० पास बुक अप-टू-डेट है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक जी० पी० एफ० पास बुक अप-टू-डेट करवाना सुनिश्चित कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में कार्यरत कृषि सेवा श्रेणी–2 के अधिकारी श्री राम सनेही आजाद एवं श्री वी० के० सचान का फरवरी, 1997 से जुलाई, 1997 तक का मासिक वेतन सम्बन्धी विवरण संलग्न है ।

संलग्न विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि श्री राम सनेही आजाद, विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रेणी–2 का माह फरवरी, 97 का वेतन आयकर विवरण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने तथा मार्च, 97 का नये वित्तीय वर्ष में कोषागार में खाते देर से खुलने के कारण विलम्ब हुआ । श्री आजाद का माह अप्रैल तथा मई 1997 का वेतन तथा श्री सचान का फरवरी, 97 से मई, 97 तक के वेतन आहरण में विलम्ब हुआ । जून, 97 के बाद समस्त स्टाफ का वेतन समय से आहरित कर भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 97 पर)

उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी पटियाली (एटा) के कार्यालय में कार्यरत श्री राम बाबू शर्मा के वेतन, बोनस, नगदीकरण आदि के भुगतान की मांग

63—श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, पटियाली (एटा) के कार्यालय में कार्यरत श्री राम बाबू शर्मा, कृषि सेवा वर्ग–1 को निलम्बन अवधि 6-2-1980 से 3-1-1993 का देय अवशेष मासिक वेतन का ऐरियर, नगदीकरण, बोनस इत्यादि का भुगतान आज तक न किये जाने का क्या कारण है ? क्या ज्वाइनिंग अवधि 4-1-1993 से 7-3-1995 तक का पूर्ण मासिक वेतन नकदीकरण व बोनस का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों अवधियों के अवशेष वेतन, ऐरियर नगदीकरण व बोनस इत्याद्रि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रश्नगत अवधि के अवशेष देय मासिक वेतन के एरियर का भुगतान किया जा चुका है । नकदीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र न प्रस्तुत करने तथा बोनस की मांग न करने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

वेतन, अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है । वर्ष 94-95 के बोनस के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नकदीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर नकदीकरण स्वीकृत कर भुगतान कराया जा सकता है ।

जनपद मऊ में कोपागंज, काछीकला मार्ग पर सड़क को पिचरोड बनाने की मांग

64—श्री समर पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मंडी परिषद् की निर्माण इकाई द्वारा जनपद मऊ में कोपागंज–काछीकला मार्ग पर मिट्टी एवं सोलिंग का कार्य किस वर्ष में कराया गया ? क्या वर्तमान समय में सीलिंग के जगह-जगह टूट जाने एवं मिट्टी के बह जाने से वाहनों के अवरुद्ध हो गये आवागमन की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो इस सड़क का सरकार कब तक पिच रोड बना देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1987-88 में ।

जी हां ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

धनाभाव के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

65—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री हरदेव सिंह तथा श्री कोविद कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों को देखते हुए इसे रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का

पत्र दिनांक 1-5-98 जो कि प्रमुख सचिव (राजस्व) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बढ़ते अवैध कब्जों को रोकने हेतु जिलाधिकारियों को शासनादेश दिनांक 22-5-98 द्वारा कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, बस्ती को दिये गये । ग्राम–देईडीह, थाना–सोनहा, जिला बस्ती की ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–193 पर से अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 122 बी नियम–115 सी के अन्तर्गत न्यायालय, तहसीलदार, भानपुर में वाद विचाराधीन है । गाटा संख्या–194 अपने वास्तविक रूप में विद्यमान एवं खाली है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, ज्योतिबा फूले नगर के आर्थिक अपराध विषयक तथ्यों की जांच पर वसूली की कार्यवाही की मांग

66—श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कामरेड भगवान दास शर्मा का कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को श्री जगवीर सिंह, जिला कृषि अधिकारी, ज्योतिबा फूले नगर के विषय में आर्थिक अपराध करने सम्बन्धी पत्र माह जून, 1998 तथा जुलाई, 1998 में प्राप्त हुए हैं । यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गई है ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? क्या उक्त अधिकारी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

वर्णित तथ्यों की जांच के लिये कृषि निदेशक को आदेश दिया गया है ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम मवैया, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया को समाप्त करने सम्बन्धी मांग

67—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का पत्र संख्या–488/वी०आई०पी०/रा० मं० (ग्रा० अभि० से०)/98, दिनांक 12-8-98 एवं पत्रांक 673/वी०आई०पी०/रा० मं० (ग्रा० अभि० से०)/98, दिनांक 18-9-98 जोग्राम मवैया, परगना कंतित, तहसील–सदर, जिला–मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत घोर धांधली एवं गम्भीर अनियमितता के

सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या राज्य मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की अनुशंसानुसार उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया तत्काल समाप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि पर दीवानी एवं चकबंदी न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने की दशा में अपने आदेश दिनांक 10-9-98 द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है तथा ग्राम की चकबंदी योजना को निरस्त करने का निर्णय लेते हुए ग्राम की चकबंदी योजना को लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण करके, यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने का आदेश चकबंदी प्राधिकारियों को निर्गत किया गया है ।

जी नहीं ।

क्योंकि जिलाधिकारी ने परीक्षण उपरान्त चकबंदी निरस्त करने का औचित्य नहीं पाया है ।

अम्बेडकर भवन पक्की सड़क आदि की गलत मालियत लगाये जाने विषयक श्री लालता सिंह, सदस्य, चकबन्दी समिति, मिर्जापुर के पत्र पर कार्यवाही की मांग

68–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लालता सिंह, सदस्य, चकबन्दी समिति, ग्राम–धरवासपुर, परगना–हवेली, तहसील–चुनार, जिला–मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-3-98 जो अम्बेडकर भवन, पक्की सड़क एवं आकृषिक लाठ का गलत मालियत लगाये जाने विषयक था, चकबन्दी अधिकारी, अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार चक निर्माण के पूर्व प्रश्नगत प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, प्रार्थना-पत्र न्यायिक प्रक्रिया में धारा–9–ख जोत चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत प्रकरण चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है। चकबंदी अधिकारी अदलहाट में चकबंदी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित वाद चकबंदी अधिकारी नरायनपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है । वाद को न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारण हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर आये कतिपय सहा० लेखाधिकारियों को उनके मूल विभाग भेजने की मांग

69–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के कतिपय सहायक लेखाधिकारियों को उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् मुख्यालय, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें वहां संविलीन न करके उनके मूल विभाग में तत्काल वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां । प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उन्हें उनके मूल विभाग में वापस किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, ज्योतिबा फूले नगर के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं विषयक तथ्यों की जानकारी

70—श्री योगेन्द्र कुमार तथा श्री प्रेम पाल सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उन्हें श्री डी० पी० यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा) का पत्र दिनांक 19-7-98 तथा श्री प्रेम स्वरूप पाठक, सदस्य, नगर क्षेत्र बदायूं का पत्र दिनांक 25-7-98 को जिला कृषि अधिकारी, ज्योतिबा फूले नगर के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गई ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

वर्णित तथ्यों की जांच के लिये कृषि निदेशक को आदेश दे दिया गया है ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आबादी के तालाब को मछली पालन हेतु आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच की मांग

71—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री देव सरन सिंह, ग्राम–सरेसर, तह० मु० खाना, सुल्तानपुर का दिनांक 17-8-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें आबादी के तालाब को जन सुविधा से बंचित करने की नियत से मछली पालन हेतु आवंटन करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कब करायी गयी है ? क्या आवंटन निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार, जगदीशपुर से करायी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवंटन पात्र व्यक्ति के पक्ष में होने के कारण पट्टा निरस्त नहीं किया गया है ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर ग्राम रवानियां, जिला सुल्तानपुर द्वारा आयुक्त फैजाबाद, उप जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिये पत्र पर कार्यवाही की मांग

72—श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त, फैजाबाद तथा उप जिलाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर को सम्बोधित क्रमशः दि० 5-8-97 को रजि० तथा 24-7-97 को दिया गया श्री श्याम बहादुर सिंह, ग्राम–रवानियां पश्चिम, तह० सदर, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध गम्भीर

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच परिणाम क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम कोटिया के ग्राम प्रधान व सदस्यों द्वारा फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर जांच/कार्यवाही की जानकारी

73—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उनको सम्बोधित ग्राम प्रधान तथा अन्य सदस्य ग्राम कोटिया, तह० सदर, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दि० 29-10-97 जिसमें ग्राम में हुई फर्जी पट्टों की शिकायत थी और जिसमें प्रमुख सचिव, राजस्व को मंत्री जी के पत्रांक 1882 वी० आई० पी०, 29-10-97 द्वारा जांच हेतु भेजा गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीपत उपाध्याय, लेखपाल, चकबन्दी जौनपुर के मृत्युपरान्त उनके नाबालिग लड़के को नियमों को शिथिल करते हुए नौकरी में लिये जाने का मामला

74—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीपत उपाध्याय, लेखपाल, चकबन्दी, जौनपुर को 13-2-84 को मृत्युपरान्त उनके नाबालिग लड़के मनोज कुमार के आवेदन पर नियम के शिथिलीकरण की कोई पत्रावली शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 के नियम 5(1) (तीन) के अनुसार वर्ष 1984 में दिवंगत कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री मनोज कुमार उपाध्याय को समायोजित करने हेतु समय सीमा के शिथिलीकरण का औचित्य नहीं है । फिर भी चकबन्दी आयुक्त से इस बिन्दु पर सूचना मांगी गयी है कि यदि आवेदक के समय सीमा के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र पहले दिया हो तो प्रमाण स्वरूप उसकी प्रति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराई जायें । चकबन्दी आयुक्त द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, जौनपुर से पत्राचार किया जा रहा है । सूचना अभी प्रतीक्षित है । सूचना प्राप्त होने पर ही नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

उप निदेशक (नि०) मण्डी परिषद् द्वारा अपने बरेली मण्डल के कार्यकाल के दौरान की गई कतिपय अनियमितताओं हेतु कार्यवाही की मांग

75—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (नि०) मण्डी परिषद् श्री एस० एन० पी० यादव द्वारा अपने बरेली मण्डल के कार्यकाल के दौरान मे० कुंवरपाल इस्लाम नगर बदायूं द्वारा किये गये कार्यों के अनुबन्ध संख्या–801 व 852 के भुगतान की जांच में दोषी पाये गये हैं ? यदि हां,तो क्या उक्त अधिकारी के आहरण वितरण अधिकार को समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रकरण में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मण्डी परिषद् बदायूं के अनुबन्ध सं० 801, 852 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान न करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

76—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे० कुंवर पाल इस्लामनगर, बदायूं द्वारा मण्डी परिषद् के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 801 व 852 में कराये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है ? क्या उनकी 10 प्रतिशत धरोहर राशि भी वापस कर दी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में मे० कुंवर पाल द्वारा कोई पत्र 7-1-95 को मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित भुगतान कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतानों में विलम्ब हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । धरोहर धनराशि 10% अर्थदण्ड में समायोजित कर ली गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं । तत्कालीन उपनिदेशक (नि०), सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता दोषी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के चुनार तहसील के कतिपय गांवों में ओलावृष्टि से हुई खरीफ की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिये जाने की मांग

77—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1997 में मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में स्थित ग्राम–घरवासपुर, शिकारपुर, नोहरीपुर, ममोलापुर, रामपुर, कोलना आदि गांवों में ओलावृष्टि से खरीफ की फसलें लगभग शत-प्रतिशत नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त गांवों के कृषकों को राहत के रूप में अब तक क्या शासकीय सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों में कृषकों

को शासन द्वारा निर्धारित राहत धनराशि का वितरण तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम घरवासपुर में रु० 1,45,862/-, ग्राम शिकारपुर में रु० 1,67,775/-, ग्राम नोहरीपुर में रु० 69,450/-, ग्राम ममोलापुर में रु० 1,16,938/- ग्राम रामपुर में 2,16,841/- व ग्राम कोलना में रु० 3,16,790/- आदि सहित 64 ग्रामों के कृषकों को राहत के रूप में अब तक रु० 62,03,578/- की राहत सहायता प्रदान की गयी ।

शासन द्वारा प्रभावित जनपदों को ओलावृष्टि से प्रभावितों में निर्धारित मानकों के अनुसार तत्काल राहत सहायता वितरण के पहले से ही प्रभावी निर्देश हैं जिसकी समय-समय पर पुनरावृत्ति की जाती है ।

ग्राम मवैया, परगना कंतित, जिला मिर्जापुर के प्रभात कुमार का चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करने विषयक मण्डलायुक्त मिर्जापुर को दिये गये पत्र पर विधि सम्मत निस्तारण की मांग

78—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रभात कुमार एवं अन्य निवासी ग्राम–मवैया, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-9-98 जो उपरोक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त किये जाने विषयक है, मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? क्या मंत्री जी मण्डलायुक्त से प्रस्तरवार जांच आख्या मंगाकर प्रश्नगत प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण निश्चित समयावधि में करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में ग्राम मवैया, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर में मुख्यतयः श्री कृष्ण शारदा देवी कन्या विद्यालय के पत्र में आरक्षित भूमि का सीमांकन रोकना तथा ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया तत्काल निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

इस प्रकरण में जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने जांच कराकर निर्णय लिया है कि ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया निरस्त करने का औचित्य नहीं है तथा वादों के शीघ्र निस्तारण कराकर कब्जा परिवर्तन कराने का निर्देश चकबंदी प्राधिकारियों को दे दिया है । इसके अतिरिक्त कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम चकबंदी के दौरान आरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य दीवानी/चकबंदी न्यायालय में लम्बित वादों के निस्तारण तक स्थल पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उप मण्डी समिति बिलग्राम हरदोई में मण्डी निदेशक द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्प लगाये जाने का मामला

79—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर दो हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–2 उप मंडी समिति बिलग्राम हरदोई में मंडी निदेशक द्वारा दिनांक 31-7-97 को स्वीकृत किये गये थे ?

क्या यह सही है कि अभी तक उक्त स्थानों पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक हैण्ड पम्प लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत हैण्ड पम्प अब नहीं लगाये जाने हैं, क्योंकि दिनांक 9-10-97 को उक्त हैण्ड पम्प की स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है ।

श्री जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट, ग्राम बालसौड़, तह० कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा परगना मजिस्ट्रेट, परगना भाबर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के सुखरो देवी मन्दिर की भूमि के अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

80—श्री अम्बरीष कुमार तथा श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 23-9-98 को श्री जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट, ग्राम बालासौड़, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा परगना मजिस्ट्रेट, परगना भादर, कोटद्वारा, जिला पौड़ी गढ़वाल के न्यायालय में सुखरो देवी मन्दिर समिति द्वारा न्याय पंचायत सुखरोदेवी की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में एक पत्र दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई गई । जांच में अभिलेखों के अनुसार खसरा संख्या–261 रकबा 0.040 हे० भूमि मन्दिर/कुटिया के नाम दर्ज कागजात है तथा इसी खसरा सं० में लगा हुआ दूसरा प्लाट संख्या–262 सार्वजनिक दुकान/पड़ाव पंचायतघर के नाम दर्ज कागजात है, जो सुखरोदेवी मन्दिर के बाउन्ड्री के अन्दर होना पाया गया है ।

81—श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

82—श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री मोहम्मद हसन खां पुत्र श्री मो० जंग खां निवासी जैरकिला, छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद के मकान के अवैधानिक तरीके से नीलाम करने का मामला

83—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० ने अपने पत्र संख्या 692/2–संग्रह–8 सी/97, दिनांक 5-8-1997 द्वारा श्री मोहम्मद हसन खां पुत्र श्री मो० जंग खां निवासी जैरकिला, छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद (अब जनपद कन्नौज) के मकान को अनियमित रूप से नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहसिन खां के शिकायती पत्र के तीन बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद (कन्नौज) से आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से बिन्दु थे ? क्या उक्त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र पर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद/कन्नौज ने

उक्त बिन्दुओं पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को अपना उत्तर प्रेषित किया है ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है ? उस पर क्या अब तक कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

निम्नवत् बिन्दु थे :––

1––जमानतदार श्रीमती धनदेश कुमारी निवासी मोहल्ला बजरिया छिबरामऊ, कन्नौज की अचल सम्पत्ति (मकान) जो नीलाम में से श्री मो० हसन खां द्वारा वर्ष 1987 में खरीदे गये हिस्से को नीलामी से बाहर क्यों नहीं रखा गया अथवा उस हिस्से को क्यों नीलाम किया गया ।

2––नीलाम की गयी सम्पत्ति की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई और बकायेदार श्री सत्य नारायण छिबरामऊ कन्नौज द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र (करारनामा) दिनांक 3-7-95 को दे दिया गया है कि कस्बा छिबरामऊ जिला कन्नौज में मेरा निजी मकान है तथा मैं उसी में बराबर रहता हूं । कहीं भी कभी भी बाहर नहीं गया या किराये के मकान में नहीं रहा इससे यह स्पष्ट है कि नीलामी के समय नीलामी से पूर्व से और अब तक बकायेदार का मकान है फिर उसे क्यों नीलाम नहीं किया गया ।

3––यदि नीलामी के समय किन्हीं परिस्थितियों अथवा झूठी रिपोर्ट कर जमानतदार के मकान को नीलाम कर दिया गया तो बकायेदार द्वारा अचल सम्पत्ति (मकान) होने का शपथ-पत्र दिनांक 3-7-95 प्राप्त होने के उपरान्त पूर्व नीलामी को निरस्त कर बकायेदार की सम्पत्ति को नीलाम करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई यदि यह कार्यवाही कर दी जाती तो गलत अथवा भूलवश की गयी नीलामी और उत्पन्न विवाद स्वतः समाप्त हो जाता तथा जमानतदार व श्री मो० हसन खां के अपने-अपने मकान नीलामी से बच जाते । साथ ही साथ दोषी कर्मचारी/अधिकारी भी प्रकाश में आ जाता एवं उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही सम्भव हो सकती ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–2369, दिनांक 18 जनवरी, 1999 के माध्यम से जनपद कन्नौज से अनुरोध किया गया है कि प्रकरण उनके जनपद से सम्बन्धित होने के कारण सम्बन्धित पत्रावलियां जनपद कन्नौज को भेजी गयी हैं ।

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि जनपद कन्नौज से परिषद् द्वारा आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सहारा, क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में एक पंचायत घर के होते हुए अतिरिक्त पंचायत घर बनाये जाने के आदेश निरस्त किये जाने की मांग

84––श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सहारा, क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में 30 वर्ष पूर्व से एक पंचायत घर बना हुआ है ? यदि हां, तो उसी गांव सभा के अन्तर्गत आने वाले छोटे से नगले तेजपुरा में एक अतिरिक्त पंचायत घर बनाये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार ग्राम सहारा में पहले से पंचायत घर बने होने के कारण ग्राम तेजपुरा अथवा ग्राम सहारा

के किसी अन्य नगले में पंचायत घर बनाये जाने के आदेश को निरस्त करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

ग्राम सभा सहारा के नगले तेजपुरा में पंचायत घर बनाने हेतु अभी तक कोई शासकीय अनुदान नहीं दिया गया है। केवल ग्रामवासियों द्वारा पंचायत घर निर्माण हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, सुल्तानगंज, मैनपुरी को विधिवत् प्रस्ताव के साथ भेजने हेतु प्रेषित किया गया है। पंचायत भवन निर्माण सम्बन्धी कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। अतः उसे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

आयुक्त, कानपुर मण्डल के पत्र के अनुसार निर्दोष अहसान खां, निवासी जेरकिला, छिबरामऊ जनपद कन्नौज की सम्पत्ति की अवैध नीलामी के दोषी कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

85—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–101 में दिये गये उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र सं०–2356/तीन–19/96-97, दिनांक 17 सितम्बर, 1997 के अनुसार जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद (अब जनपद कन्नौज) द्वारा दोषी पाये गये किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित किया गया और सम्बन्धित दोषी कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र संख्या–2356/3–19/96-97, दिनांक 17-9-97 के अनुसार दोषी पाये गये तत्कालीन नायब तहसीलदार, क्षेत्र छिबरामऊ श्री शिवनरायन पाण्डेय, वर्तमान तहसील सदर, फर्रुखाबद को कठोर चेतावनी एवं क्षेत्रीय संग्रह अमीन श्री राम किशोर दुबे तहसील छिबरामऊ की भर्त्सना करते हुए, प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 18-11-98 को जिलाधिकारी द्वारा दे दी गयी है।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानगंज के ग्राम सभा/ग्राम पंचायत भोजपुर को आबादी के आधार पर ग्राम पंचायत माने जाने के सम्बन्ध में जानकारी

86—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में स्थित गांव सभा/ग्राम पंचायत भोजपुर में कौन-कौन से नगला लगते हैं ? उसकी आबादी व एक दूसरे से दूरी कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत परिसीमन के समय कौन-कौन ग्राम सभायें/ग्राम पंचायतें भोजपुर से जोड़ दी गयी हैं ? क्या यह भी सही है कि भोजपुर से जोड़ने वाले नगलों व गांव पंचायतों की आबादी भोजपुर से कम है और इसीलिये भोजपुर को गांव पंचायत माना गया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विकास खण्ड सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में स्थित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत भोजपुर में राजस्व ग्राम गोशलपुर, गनेशपुर, सम्मिलित हैं। ग्राम भोजपुर में नगला कांकन एवं ग्राम गनेशपुर में नगला डाडी सम्मिलित है।

ग्राम भोजपुर की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 657 है। ग्राम भोजपुर से गनेशपुर की दूरी लगभग एक कि०मी० है तथा भोजपुर से गोशलपुर की दूरी एक कि०मी० से कम है।

विगत परिसीमन के समय गोश्लपुर व गनेशपुर ग्राम सभायें भोजपुर ग्राम पंचायत से जोड़ दी गयी हैं।

यह सही है कि ग्राम पंचायत भोजपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों की आबादी भोजपुर से कम है। इसलिये भोजपुर को ग्राम पंचायत माना गया है।

सघन मिनी डेरी परियोजना, गोमतीनगर, लखनऊ में तैनात गम्भीर अनियमितताओं के आरोपी महाप्रबन्धक को हटाने एवं आरोपों की जांच विशेष आडिट सेल से कराने की मांग

87—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अता० प्रश्न सं०–113 के संदर्भ में क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपय बतायेंगे कि श्री जी० एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध दुग्ध संघ, वाराणसी में कृत अनियमितताओं की जांच श्री जी० एल० श्रीवास्तव से कनिष्ठ श्री के० एन० श्रीवास्तव को सौंप कर की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री जी० एल० श्रीवास्तव के दुग्ध संघ, इलाहाबाद के कार्यकाल की उल्लिखित शिकायतों की जांच विशेष आडिट सेल से कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी नहीं।

श्री जी० एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध अध्यक्ष, दुग्ध संघ, इलाहाबाद की शिकायत पर दुग्ध संघ, इलाहाबाद के कार्यकाल के सम्बन्ध में एक जांच श्री के० एन० श्रीवास्तव, क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी (विधि) दुग्धशाला विकास लखनऊ, जो एक राजपत्रित अधिकारी थे, से करायी गयी, जबकि श्री जी० एल० श्रीवास्तव, पी सी० डी० एफ०, जो एक स्वायत्तशासी सहकारी संस्था है, के अधिकारी हैं। अतः वरिष्ठता और कनिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध दुग्ध संघ, इलाहाबाद के कार्यकाल से सम्बन्धित ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, जिसकी जांच विशेष आडिट सेल से कराये जाने का प्रस्ताव हो।

सघन मिनी डेरी परियोजना, गोमतीनगर, लखनऊ में तैनात गम्भीर अनियमितताओं के आरोपी महाप्रबन्धक को हटाने एवं वित्तीय हानि के रिकवरी की मांग

88—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम गुरु के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–113 के उत्तर के संदर्भ में क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उल्लिखित प्रमाणित आरोप के आधार पर श्री श्रीवास्तव को दण्डित करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो तीन दिन डेरी बन्द होने से कितनी वित्तीय हानि हुई ? क्या इसकी रिकवरी श्री श्रीवास्तव से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां।

जांच आख्या में तीन दिन डेरी बन्द होने से वित्तीय हानि का कोई आरोप श्री श्रीवास्तव पर प्रमाणित नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जी० एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध वाराणसी के कार्यकाल के आरोपों की जांच हेतु श्री पी० के० गुप्ता, महाप्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिन्होंने अपनी जांच आख्या पत्रांक–135, दिनांक 13-3-97 द्वारा प्रस्तुत की थी, जिसमें श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, किन्तु जांच अधिकारी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वांछित औपचारिकताएं विभिन्न अनुभागों से समयान्तर्गत पूर्ण न करने के फलस्वरूप तीन दिन तक डेरी बन्द होने से संस्था की छवि धूमिल होने के लिये श्री श्रीवास्तव को आंशिक रूप से उत्तरदायी पाया गया जिसके लिये अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति, पी० सी० डी० एफ० के आदेश संख्या–2535 दिनांक 10-7-98 द्वारा श्री श्रीवास्तव को चेतावनी निर्गत की जा चुकी है ।

सघन मिनी डेरी परियोजना, गोमती नगर, लखनऊ में तैनात गम्भीर अनियमितताओं के आरोपी महाप्रबन्धक को हटाने एवं उनके पूर्व जनपदों में रहे कार्यकाल की जांच की मांग

89—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–113 के उत्तर के संदर्भ में क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जी० एल० श्रीवास्तव के दुग्ध संघ, वाराणसी तथा दुग्ध संघ, इलाहाबाद के कार्यकाल में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर तत्कालीन सचिव, दुग्ध विकास/प्रबन्ध निदेशक, पी० सी० डी० एफ० द्वारा जांच की त्वरित कार्यवाही करने तथा जांच पूर्ण न होने तक किसी तरह का प्रभार न सौंपने के बावजूद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना किन परिस्थितियों में श्री श्रीवास्तव को सघन मिनी डेरी परियोजना के महाप्रबन्धक का प्रभार सौंपा गया ? क्या सरकार श्री श्रीवास्तव की अनियमितताओं को दृष्टिगत रखकर उक्त अधूरी जांच को पूर्ण करने हेतु श्री जी० एल० श्रीवास्तव के वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ में कार्यकाल की जांच विशेष आडिट सेल से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

दुग्ध संघ, वाराणसी तथा दुग्ध संघ, इलाहाबाद में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूर्ण न होने तक श्री श्रीवास्तव को किसी भी प्रकार का प्रभार न सौंपने विषयक अध्यक्ष (प्रशासनिक समिति/प्रबन्ध निदेशक), पी० सी० डी० एफ० का कोई निर्णय कार्यालय दुग्ध आयुक्त/पी०सी० डी०एफ० में उपलब्ध नहीं पाया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दुग्ध संघ, वाराणसी के सम्बन्ध में विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरान्त अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति, पी० सी० डी० एफ० के आदेश संख्या–2535, दिनांक 10-7-98 द्वारा डा० श्रीवास्तव को चेतावनी निर्गत की जा चुकी है । लखनऊ के कार्यकाल की अनियमितताओं का कोई मामला लम्बित नहीं है । दुग्ध संघ, इलाहाबाद के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री के० एन० श्रीवास्तव द्वारा की गयी जांच आख्या का विवरण दुग्ध आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । जांच अधिकारी श्री के० एन० श्रीवास्तव, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा यह

बताया गया कि उक्त प्रकरण में जांचोपरान्त कोई शिकायत प्रमाणित नहीं पायी गयी है जिसके कारण विशेष आडिट सेल से प्रकरणों की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम अजीजपुर, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी (इलाहाबाद) में वर्ष 1994-95 की चकबन्दी के उपरान्त पुनः पैमाइश कराकर काश्तकारों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

90—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम—अजीजपुर, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी (इलाहाबाद) में वर्ष 1994-95 में चकबन्दी हुई थी ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों को मौके पर वास्तविक कब्जा मिल गया है और काश्तकार अपनी-अपनी चकों पर काबिज होकर उन्हें जोत बो रहे हैं? क्या उक्त ग्राम में चकबन्दी के पूर्व की स्थिति बरकरार है और अधिकांश काश्तकार अपने-अपने पुराने खेत ही जोत बो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की पैमाइश पुनः कराकर काश्तकारों को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां। जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत धारा—4(2) का प्रकाशन दिनांक 23-8-93 को हुआ था तथा अधिनियम की धारा 52(1) का प्रकाशन दिनांक 5—10-96 को हुआ।

वर्ष 1995 में चकों का सीमांकन करके कब्जा परिवर्तन किया गया था किन्तु ग्राम के 83 चकदारों ने अपने-अपने चकों पर कब्जा नहीं प्राप्त किया। केवल दो चकदार अपने चकों पर कब्जा प्राप्त करके जोत बो रहे हैं।

स्थिति उपर्युक्तानुसार।

चकों के पुनः सीमांकन के लिये तहसील एवं चकबंदी स्टाफ की संयुक्त टीम गठित कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश तराई बीज एवं विकास निगम, लखनऊ में संयुक्त विपणन अधिकारी पर अनियमितता का आरोप एवं स्थानान्तरण की मांग

91—श्री अजय कुमार पोइया—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०—58 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त विपणन अधिकारी (श्री आहूजा) उ० प्र० तराई बीज एवं विकास निगम, लखनऊ को दिनांक 30-6-98 के लखनऊ से कलकत्ता स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो क्या आदेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या यह सही है कि सदन में दिये गये उत्तर की अवहेलना करके कार्यालय आदेश दिनांक 26-8-98 द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेशों में आंशिक परिवर्तन करके इनके मुख्यालय हल्दी (सब्जी बीज) स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उक्त आदेश को निरस्त कर पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जनहित में तथा निगम के हितों को देखते हुए तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेशों की समीक्षा की गयी और श्री आर० के० आहूजा की सेवाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण आदेशों में आंशिक संशोधन करके श्री आहूजा को सब्जी बीज अनुभाग मुख्यालय हल्दी स्थानान्तरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही ज्ञानपुर में मण्डी समिति द्वारा हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की मांग

92—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में मंडी समिति से लगाये गये हैण्डपम्प खराब होने से इस क्षेत्र में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है ? क्या मण्डी समिति से लगाये गये हैण्डपम्प के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

स्थापित हैण्ड पम्प जो खराब हैं उनके मरम्मत हेतु मण्डी परिषद् के पत्रांक 906, दिनांक 8-6-98 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु 50% हैण्ड पम्पों की संख्या तक रु० 200 प्रति हैण्ड पम्प की दर से अनुरक्षण व्यय प्रत्येक प्रशासनिक सम्भाग हेतु अधिकतम रु० 10,000 की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर के बरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहिउद्दीनपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

93—श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर में बरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहिउद्दीनपुर मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब स्वीकृत किया गया ? क्या मंत्री जी उक्त मार्ग का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1995-96 में ।

मार्ग निर्माणाधीन है । इस सड़क का निर्माण कार्य चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत है । चयन अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु मा० परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-98 में लिये गये निर्णय के

अन्तर्गत इन सम्पर्क मार्गों का कार्य यथास्थिति के आधार पर अन्तिम किया जाना है तथा शेष बचे कार्यों को निर्धारित टेण्डर की प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा ? तदनुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में अक्टूबर, 1998 में अवैध शराब से हुई मौतों के फलस्वरूप मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु बनाई गई योजना की जानकारी

94—श्री लाखीराम जोशी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में अक्टूबर, 1998 के अन्तिम सप्ताह में अवैध शराब पीने से कुल कितनी मौते हुई हैं ? मृतक आश्रित को कुल कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी है ? भविष्य में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु शासन ने क्या कोई कारगर योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद टिहरी गढ़वाल के मज्याड़ गांव में दि० 28/29 अक्टूबर, 1998 को अवैध शराब के सेवन से सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । प्रत्येक मृतक के आश्रित को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

जी हां । अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध शराब के स्रोतों को नष्ट करने हेतु क्षेत्र, जनपद एवं मण्डलीय स्तर पर आबकारी स्टाफ द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है । जनपद टिहरी गढ़वाल में अवैध शराब के अड्डों को तत्समय नष्ट कर दिया गया था । प्रदेश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये दिनांक 11-1-99 से 25-1-99 तक की अवधि में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया ।

नार्मल स्कूल एवं माडल स्कूल भवनों को शासनादेश के अनुपालन में खाली कराकर जिला पंचायत को कब्जा दिलाये जाने की मांग

95—डा० वकार अहमद शाह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-11-98 सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित नार्मल स्कूल एवं माडल स्कूल भवनों को शासनादेश संख्या 1583–113/05-96, दिनांक 25-4-95 का परिपालन करते हुए क्या उसे खाली कराकर जिला पंचायत को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

भवन खाली कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला पंचायत, बहराइच में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सहकर्ताओं/कर निरीक्षकों की, की गयी नियुक्तियों को नियमित किये जाने की मांग

96—डा० वकार अहमद शाह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला पंचायत, बहराइच का पत्र दिनांक 10-11-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिला पंचायत, बहराइच में तत्कालीन अपर मुख्य

अधिकारी द्वारा सहकर्ताओं/कर निरीक्षकों की, की गयी नियुक्तियों को नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रश्नगत समाहर्ताओं की पदोन्नति की गयी थी, परन्तु पद सृजित न होने के कारण उन्हें नियमित नहीं किया गया । कर निरीक्षक के एक विवादित पद के विरुद्ध दो कर निरीक्षक हैं, इस कारण नियमित नहीं किया गया ।

वर्ष 1997 में जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा खरीदी गई पुस्तकों के लेखा जोखा की जानकारी

97—डा० वकार अहमद शाह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा कौन-कौन सी एवं कितनी पुस्तकें कितने रुपये में वर्ष 1997 एवं 1998 में खरीदी गईं ? उन पुस्तकों का वितरण कब-कब और किसे किया गया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

वर्ष 1997 में जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा पंचायतराज ऐक्ट की 1400 प्रतियां मु० 5,89,860.00 रुपये में खरीदी गयी थी । वर्ष 1998 में कोई पुस्तक क्रय नहीं की गयी ।

तत्कालीन जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा माह अक्टूबर, 1998 तक इनमें से 261 पुस्तकों का वितरण विकास खण्ड बलहा, रिसिया, नवाबगंज एवं शिवपुर के प्रधानों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को किया गया है ।

जनपद बदायूं, विकास खण्ड अम्बियापुर, ग्राम पंचायत बेहटा गुसाई, के प्रधान किशोर मिश्रा के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमितता की जांच

98—श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत बेहटा गुसाई, विकास खण्ड अम्बियापुर, जनपद बदायूं के प्रधान किशोर मिश्रा के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमितता बरतने की जांच कराने के लिये जिला मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं को दिनांक 26-6-98 को आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो अब तक जांच न किये जाने का क्या कारण है ? जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त कर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही कराई जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

प्रधान ग्राम पंचायत बेहटा, गुसाई, विकास खण्ड अम्बियापुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) बदायूं द्वारा करायी गयी जिसमें जवाहर रोजगार योजना की प्राप्त धनराशि में से रुपया 19,323 का दुरुपयोग प्रधान ग्राम पंचायत बेहटा गुसाई द्वारा किया गया पाया है । पंचायत राज अधिनियम, 1947 यथा संशोधित 1994 की धारा 95(1)(छ) के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत बेहटा गुसाई को जिलाधिकारी, बदायूं की तरफ से उक्त धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है ।

लखनऊ, खदरा स्थित अधिग्रहीत खसरा सं० 635 व 636 के मुआवजे का भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

99—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर खदरा, तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या 635 व 636 की भूमि वर्ष 1984 में बाढ़ संरक्षण योजना में ले ली गयी थी ? क्या उसके मुआवजे के भुगतान हेतु दिनांक 25-6-98 को बाउचर नं० 661 व 662 काटे गये ? यदि हां, तो भू-स्वामियों (प्रिंस एजाज बहादुर व मुन्ना राजा) को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रिंस एजाज व मुन्ना राजा को वाउचर सं०–2/29 तथा 2/30 दिनांक 21-5-98 को जारी किया गया था । उक्त वाउचर कोषागार के कर्मचारी से खो गये, नानपेमेन्ट का प्रमाण-पत्र आने पर दिनांक 25-6-98 को वाउचर सं०–2/60 व 2/61 जारी किये गये । कोषागार द्वारा इस आधार पर वापस किया गया कि योजना में धनराशि शेष नहीं है । योजना में सिंचाई विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मिर्जापुर को चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का ग्राम शिकारपुर, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर की चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त करने विषयक प्रेषित पत्र

100—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, मिर्जापुर को प्रेषित चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० का पत्रांक 869/जी–606/98. दिनांक 13 फरवरी, 1998 ब०च०अ० मिर्जापुर को किस तिथि को प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र प्राप्ति की तिथि से लेकर आज तक नौ माह के चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ? चकबन्दी आयुक्त के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रश्नगत गांव की चकबन्दी प्रक्रिया "जाम" करने के लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार चकबन्दी आयुक्त के उक्त आदेश का प्रत्येक दशा में अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले चकबन्दी विभाग, मिर्जापुर को दण्डित करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दी आयुक्त का पत्र दिनांक 13-2-98 बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को दिनांक 24-2-98 को प्राप्त हुआ है ।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 8क एवं नियम 24 क के अन्तर्गत सिद्धान्तों के विवरण पत्र की तैयारी में विवाद हो जाने के कारण मामला नियम 24 क (5) के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को संदर्भित किया गया है । जो बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष विचाराधीन है । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को शीघ्र निस्तारण के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की स्थिति उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है । दण्डन की कार्यवाही का प्रश्न यथास्थिति परिणामों पर निर्भर करता है ।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी/उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर को प्रेषित पत्र में संदर्भित प्रकरण की जांच पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

101—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के द्वितीय गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी/ जिला उप संचालक चकबंदी, मिर्जापुर को प्रेषित चकबंदी आयुक्त के पत्रांक सं० मेमो/आशु०लि० दिनांक 28-4-97 में संदर्भित प्रकरण की जांच चकबंदी अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो मात्र तीन गाटों के मालियत निर्धारण में की गयी अनियमितता की जांच 18 माह बीतने के बावजूद पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ? प्रश्नगत प्रकरण की जांच अन्तिम रूप से कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, जांच पूरी करा ली गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मे० कुंवरपाल, इस्लामनगर, बदायूं द्वारा मण्डी परिषद् के अनुबन्ध सं० 801 व 852 में कार्यों के भुगतान में विलम्ब के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102—श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे० कुंवर पाल, इस्लामनगर, बदायूं द्वारा मण्डी परिषद् के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 801 व 852 में कराये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है ? क्या भुगतान में विलम्ब की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उनकी 10 प्रतिशत धरोहर राशि वापिस कर दी गयी है ? क्या इस संबंध में मे० कुंवर पाल द्वारा कोई पत्र 7-1-95 को मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित भुगतान कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतानों में विलम्ब हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । आंशिक भुगतान के आदेश कर दिये गये हैं ।

तत्कालीन उपनिदेशक (निर्माण), सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता दोषी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि निदेशालय में दैनिक कर्मचारियों को हटाये जाने की मांग

103—श्री विजय कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कोई भी दैनिक कर्मचारी न रखा जाय इस प्रकार के स्पष्ट शासनादेश हैं ? यदि हां, तो क्या कृषि निदेशालय में आज भी दैनिक कर्मचारी रखे जा रहे हैं ? पिछले सात माह से अब तक कितने दैनिक कर्मचारी रखे गये हैं ? क्या इन कर्मचारियों को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पंचायत सस्पना, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में अवैध कब्जों को हटाये जाने की जानकारी

104—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत सस्पना, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम वासियों का अवैध कब्जों के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-6-98 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? क्या उसमें जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11-6-98 को उप जिलाधिकारी को जांच कराकर कार्यवाही का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच की रिपोर्ट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जांचोपरान्त पाये गये अवैध कब्जों को हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम—पो०—कौहार, तहसील गौरीगंज के लेखपाल के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

105—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अता० प्र० सं०—124 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गया है ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोहा—

[illegible] ।

जनपद प्रतापगढ में पट्टी के लिये मण्डी परिषद द्वारा नहर सेवा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक प्रशासनिक स्वीकृति की जानकारी तथा कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

106—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा पट्टी के लिये मंडी परिषद् द्वारा 6 कि०मी० नहर मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त की स्वीकृतियां निदेशक, मण्डी को शासन के पत्रांक 1050/12-5-98, दिनांक 31-3-98 कृषि अनुभाग—5 द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण क्या है ? उक्त प्रस्तावित कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां ।

शासन के आदेश दिनांक 31-3-98 के अनुपालन में मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 19-5-98 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 6 कि०मी० नहर सेवा मार्ग को पक्का कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दी गयी जिसमें निम्नलिखित तीन मार्ग थे :—

1—चिलबिला रजवाहा—3.00 कि०मी०

2—रामगंज रजवाहा कादीपुर डिबाई—1.5 कि०मी०

3—नागापुर रजवाहा—1.5 कि०मी०

इसी बीच व्यवहारिक एवं विविध कठिनाइयों के मद्देनजर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आदेश संख्या–1659/12-5-98, दिनांक 20 मई, 98 के फलस्वरूप कार्य बाधित रहा । पुनः विशेष सचिव, कृषि विभाग के अर्द्धशा० पत्रांक–84/12-5-98, दिनांक 3 फरवरी, 99 के अन्तर्गत उक्त कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के आदेश निदेशक, मण्डी परिषद् को दिये गये हैं ।

धन की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी में मण्डी परिषद् द्वारा नहर सेवा मार्ग को पक्का किये जाने सम्बन्धी कार्य की पूर्ण विवरण की जानकारी

107—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–2–627114, दिनांक 23-3-98 द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में मण्डी परिषद् द्वारा 6 कि०मी० नहर सेवा मार्ग का पक्का करने के सम्बन्ध में अपने आदेश संख्या 1050/12-5-98, दिनांक 31-3-98 कृषि अनुभाग–5 द्वारा निदेशक, मण्डी को निर्माण हेतु निर्देश दिये थे ? क्या प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां जारी करके कार्य कराया जा रहा है ? उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

शासन के आदेश दिनांक 31-3-98 के अनुपालन में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23 मार्च, 98 में उल्लिखित निम्नांकित तीन मार्गों के निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 19-5-98 को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दी गयी :—

1—चिलांबला रजवाहा–3.00 कि०मी०

2—रामगज रजवाहा कादीपुर दिबाई–1.5 कि०मी०

3—नागापुर रजवाहा–1.5 कि०मी०

इसी बीच व्यवहारिक एवं विविध कठिनाइयों के मद्देनजर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्गत पत्र संख्या–1659/12-5-98, दिनांक 20 मई, 1998 के फलस्वरूप कार्य बाधित रहा, पुनः विशेष सचिव, कृषि विभाग के अर्ध०शा०प० सं०–84/12-5-99, दिनांक 3 फरवरी, 99 के अन्तर्गत उक्त कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के आदेश निदेशक मण्डी परिषद् को दिये गये हैं ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम धरकासपुर, परगना हवेली, तहसील चुनार में श्री प्रताप सिंह प्रधान/चेयरमैन चकबन्दी समिति एवं ग्रामीणों को गलत मालियत लगाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

108—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र जो पक्की सड़क अम्बेडकर भवन आकृषिक भूमि का गलत मालियत लगाये जाने विषयक है, पर बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 3-7-98 को स्थलीय जांच करके जांच आख्या 15-7-98 तक प्रेषित करने हेतु चकबन्दी अधिकारी अदलहाट को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अब तक चकबन्दी अधिकारी द्वारा स्थलीय जांच आख्या प्रेषित की गयी ? यदि नहीं, तो शीघ्र निस्तारण के लिये शासन से

निर्गत निर्देश के बावजूद प्रश्नगत प्रकरण में इस गम्भीर शिथिलता के लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार निश्चित समय सीमा के अन्दर प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी अधिकारी अदलहाट जहां चकबन्दी अधिकारी का पद रिक्त है, में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित वाद संख्या–178 व 180 चकबंदी अधिकारी नरायनपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुए शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर, तहसील लखीमपुर, ग्राम बड़ागांव में सीलिंग भूमि का पट्टा सम्बन्धी मामला

109—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर की तहसील लखीमपुर में स्थित ग्राम बड़ागांव में सीलिंग भूमि का पट्टा 1997 व 1998 में कितने व्यक्तियों को किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन पट्टा धारकों में से कितने व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और कितने व्यक्ति भूमिधर एवं अन्य ग्राम सभा के निवासी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार अपात्र पट्टेधारकों के पट्टों को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1997 व 1998 में बड़ागांव, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर में सीलिंग भूमि के पट्टे नहीं हुए हैं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के लेखपाल के स्थानान्तरण की मांग

110—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में वर्तमान समय में कितने लेखपाल ऐसे हैं जो अपने गृह तहसील में कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण गृह तहसील से न किये जाने के क्या कारण हैं ? उनके स्थानान्तरण कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद में कोई भी लेखपाल अपने गृह तहसील में कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111—श्री राजधारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में धांधली का मामला

112—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे गुरुवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–101 के उत्तर के संदर्भ में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने की कोई नीति न होने के कारण उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 की प्रतीक्षा सूची को गोपनीय रखा गया था ? यदि हां, तो त्यागोपरान्त रिक्त स्थानों को निर्धारित समयान्तराल में न भरकर नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष ने अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का सत्यतापूर्वक जानबूझकर निर्वहन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय प्रतीक्षा सूची मात्र एक अभ्यर्थी को क्रमांक–3 से पद भार ग्रहण कराया गया ? यदि हां, तो रिक्त अन्य स्थान क्यों नहीं भरे गये ? क्या मंत्री जी ने उक्त प्रकरण में बरती गई धांधली की कोई जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

नियमानुसार विषयगत प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष के लिये वैध थी और इस अवधि में केवल एक त्याग-पत्र ही स्वीकार हुआ था, जिसके फलस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति में प्रतीक्षा सूची के एक चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण कराया गया ।

प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के कारण उसी आधार पर प्रश्नगत रिक्त स्थान को भरा जाना नियमानुसार सम्भव नहीं था ।

कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है अतः जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद वाराणसी, काशी विश्वनाथ मन्दिर में विभिन्न स्तर के पुजारियों एवं कर्मचारियों हेतु सेवा नियमावली बनाये जाने की सरकार से मांग

113—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर में विभिन्न स्तर के कितने पुजारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? उन्हें कितना वेतन और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या उक्त पुजारियों एवं कर्मचारियों हेतु कोई सेवा नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या कर्मचारी हित में सेवा नियमावली अविलम्ब बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी में विभिन्न स्तर के 20 पुजारी एवं 19 कर्मचारी कार्यरत हैं । उन्हें नियमानुसार मासिक मानदेय अनुमन्य है :—

पदनाम	मानदेय मासिक
सहायक	रु० 3500 से 4500/- तक
प्रधान पुजारी	रु० 3500/-
पुजारी	रु० 3000/-
भण्डारी	रु० 2500/-
प्रधान सेवादार	रु० 2600/-

सेवादार	रु० 2500/-
चालक	रु० 3000/-
चपरासी	रु० 2600/-

अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत मध्यान्ह में भोग प्रसाद, मासान्त में वस्त्र, उपवस्त्र, शीत ऋतु में कम्बल, समय-समय पर ड्रेस, चिकित्सकीय सुविधा, वर्ष में एक बार बर्तन व दो बार साड़ियां प्रदान की जाती हैं।

जी नहीं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर पर नियमावली बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज ऐक्ट के सम्बन्ध में बजाज समिति की रिपोर्ट लागू किये जाने की मांग

114—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज ऐक्ट के सम्बन्ध में बजाज समिति की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया ? क्या सरकार शीघ्र ही बजाज समिति की रिपोर्ट लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

बजाज समिति की संस्तुतियों का परीक्षण उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया। उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बजाज आयोग की संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

115—श्री अजय भट्ट—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

116—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

[ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०—179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला, राप्ती नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों के कर्जे माफ करने की मांग

117—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में राप्ती नदी के किनारे बसे समस्त गांव बाढ़ से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से पीड़ित किसानों के कर्जे माफ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी सीमा क्या होगी एवं इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के किनारे बसे 66 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व माफ करने का शासनादेश दिनांक 29-9-98 को निर्गत कर दिया गया है। पीड़ित किसानों के कर्जे माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

118—श्री उबैदुर्रहमान—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राष्ट्रीय जलागम इकाई उतरौला बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96 व 96-97 में हुसैनाबाद प्रथम/धौरहरा प्रथम/गजपुर ग्रन्ट प्रथम व द्वितीय आदि परियोजनाओं पर व्यय धन का विवरण

119—श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चतुर्थ गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं० 53 के उत्तर के संदर्भ में कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना के अन्तर्गत वर्षों में कुल रुपया 25.49 लाख प्राप्त हुआ है एवं रुपया 21.088 लाख रुपया व्यय किया गया है और रुपया 4.403 शेष रहा दर्शाया गया है ? यदि हां, तो शेष धनराशि का उपयोग किस कार्य हेतु किया जा रहा है ? क्या सरकार शेष धनराशि से गजपुर में कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जहां तक अवशेष धनराशि 4.403 लाख रुपये के उपयोग का प्रश्न है, इसमें से रुपया 2.903 लाख का उपयोग निम्न परियोजनाओं में स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु कर लिया गया है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अवशेष धनराशि (लाख रु०)	व्यय धनराशि (लाख रु०)	अभ्युक्ति
1	हुसैनाबाद प्रथम	2.03	2.03	परियोजना संतृप्त कर दी गई है
2	धौरहरा प्रथम	1.50	—	भुगतान अवशेष है ।
3	पकड़ी भुवार	—	—	परियोजना वर्ष 96-97 में ही संतृप्त कर दी गई है ।
4	ऐलरा	0.001	0.001	परियोजना संतृप्त कर दी गई है ।
5	दौलताबाद प्रथम	0.251	0.251	,, ,,
6	गजपुरा ग्रंट प्रथम	0.15	0.15	,, ,,
7	सोनहट प्रथम	0.091	0.091	,, ,,
8	गजपुर ग्रंट द्वितीय	0.38	0.38	,, ,,
	योग	4.403	2.903	

धनराशि रुपया 1.50 लाख जो धौरहरा-प्रथम का शेष था, में से रुपया 0.36 लाख का भुगतान सम्पादित कार्यों के विरुद्ध किया जा चुका है । शेष रुपये 1.14 लाख का उपयोग भी परियोजना धौरहरा प्रथम में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध ही किया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

क्योंकि गजपुर नाम से कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है ।

जनपद बलरामपुर, उतरौला में बाढ़ से पीड़ित किसानों को राहत के रूप में भूमि का लगान माफ किये जाने की मांग

120—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998 में आई बाढ़ से किसानों को राहत के नाम पर भूमि लगान माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व की माफी का निर्णय है । इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 29-9-98 को जारी किया जा चुका है ।

121—श्री राम शंकर पाल—

[1ले सोमवार में अता० प्र० सं०—154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, ग्राम माधोखेड़ा में थर्मोकोल फैक्ट्री की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि की पुनः पैमाइश की मांग

122—श्री उदयराज यादव—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे गुरुवार के अता० प्र० सं० 124 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहीत भूमि का रकबा वर्तमान वर्ष 1998 में अधिग्रहीत भूमि से अधिक नहीं है तो क्या सरकार उक्त की पुनः पैमाइश मुख्य राजस्व अधिकारी, लखनऊ से चेक तरासी जांच कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

पूर्व में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पैमाइश कराई गई थी जिसमें मौके पर रकबा कम, अधिक अथवा अतिक्रमित नहीं पाया गया । अतः पुनः पैमाइश का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर, श्रीनगर में मण्डी परिषद् द्वारा वर्षवार मार्गों के निर्माण कार्य की जानकारी तथा निर्माण कार्य मानक के अनुरूप किये जाने की मांग

123—श्रीमती माया प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में मण्डी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 में कितने मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया तथा कितने मार्गों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? वर्षवार उपरोक्त सभी मार्गों के निर्माण के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है ? क्या निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया :—

1995-96	01 सड़क
1996-97	शून्य
1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

एक सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन है ।

निम्न धन स्वीकृत हुआ है ।

1995-96	रुपया 22.00 लाख
1996-97	शून्य
1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, सफीपुर के गुप्ता कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा किसानों के सड़े हुए आलू का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिये जाने की मांग

124—श्री बाबूलाल कुरील—

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के वि० सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव में स्थित गुप्ता कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा किसानों के सड़े हुए आलू का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के मा० मुख्य मंत्री को दिये गये शिकायती-पत्र दिनांक 11-8-98 व 2-9-98 पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या किसानों के सड़े हुए आलू का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिया गया ?यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० लक्ष्मी नारायण—

प्रश्नगत शिकायती पत्रों में उल्लिखित 10 शिकायतकर्ताओं में से 6 शिकायतकर्ताओं के सड़े आलू मूल्य का भुगतान शीतगृह स्वामी द्वारा भण्डारण के समय बाजार भाव के अनुसार किया जा चुका है तथा एक शिकायतकर्ता ने अपना समस्त भण्डारण आलू शीतगृह से निकाल लिया था । शेष तीन शिकायतकर्ताओं का आलू भण्डारित नहीं था । फलस्वरूप उन्हें मुआवजा के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सफीपुर (उन्नाव) स्थित गुप्ता कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा किसानों के आलू भण्डारण पर ब्याज लिये जाने का मामला

125—श्री बाबूलाल कुरील—

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के वि० स० क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में स्थित गुप्ता कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा किसानों के आलू भण्डारण पर उक्त मालिक द्वारा 32 प्रतिशत ब्याज किसानों से लिया जाता है ? क्या उक्त मालिक के पास साहूकारी का लाइसेंस है? यदि नहीं, तो किस अधिनियम के तहत इतना अधिक ब्याज किसानों से लिया जा रहा है ? क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज, ग्राम सैदपुर सरौरा, रुद्रपुर पैगा, खोहनिकट, बढ़ैपुरा, चन्दुआ, चमरौआ, रसूला तालिबहुसैन आदि ग्रामों में चकबन्दी एवं धारा 52 के प्रकाशन की जानकारी

126—श्री छोटे लाल गंगवार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नवाबगंज, बरेली के ग्राम सैदपुर सरौरा, रुद्रपुर पैगा, खोह निकट, बढैपुरा, चन्दुआ, चमरौआ, रसूला ताकिब हुसैन आदि ग्रामों में कब से चकबन्दी चल रही है ? क्या इन उपरोक्त ग्रामों का धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो सरकार उपरोक्त ग्रामों की धारा 52 का प्रकाशन कब तक करा देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सैदपुर सरौरा, रुपपुर, पैगा, बढैपुरा, निकट खोह, चन्दुआ, चमरौला, रसूला तालिब हुसैन, तहसील नवाबगंज, जनपद बरेली की जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4क (2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 23-8-86 को होने के उपरान्त चकबंदी क्रियायें प्रारम्भ की गयी हैं।

ग्राम पैगा का दिनांक 7-3-92 तथा ग्राम चन्दुआ चमरौला का दिनांक 6-9-97 को धारा–52 का प्रकाशन हो चुका है। शेष ग्राम सैदपुर सरौरा, रूपपुर, खोह निकट, बढैपुरा रसूला तालिब हुसैन के धारा–52 के प्रकाशन हेतु चकबन्दी निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या–7730/जी०–331/58-86, दिनांक 29-6-93 निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, इलाहाबाद को भेजी जा चुकी है।

जनपद मथुरा के गोबर्धन में डी० ए० पी० यूरिया खाद एवं पोटाश किसानों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

127—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोबर्धन विधान सभा में डी० ए० पी०, यूरिया खाद एवं पोटाश किसानों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क–2–021144, दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जनपद मथुरा में डी० ए० पी० की उपलब्धता 15150 मी० टन लक्ष्य के विरुद्ध 13220 मी० टन, यूरिया की उपलब्धता 43000 मी० टन लक्ष्य के विपरीत 31466 मी० टन बिक्री केन्द्रों पर तथा 7760 मी० टन पी० सी० एफ० बफर पर कुल 39226 मी० टन एवं एम० ओ० पी० की उपलब्धता 1500 मी० टन लक्ष्य के विपरीत 186 मी० टन है जो निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 87.90 एवं 12.04 प्रतिशत है।

पर्वतीय उपसंवर्ग सेवा नियमावली प्रख्यापन पश्चात प्रोन्नति की जानकारी

128—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में अवर अभियन्ता (अभियंत्रण वर्ग 2) से प्राविधिक सहायक वर्ग–1 के पदों पर पदोन्नति का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या पर्वतीय उपसंवर्ग में सेवा नियमावली 1993 के प्रख्यापन के बाद कोई पदोन्नति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या पर्वतीय उपसंवर्ग के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, केवल मैदानी संवर्ग हेतु।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 में समस्त संशोधन को सम्मिलित करते हुए नई नियमावली बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है। नई नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त यथा-नियम अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति किया जाना सम्भव हो सकेगा।

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के अनुरोध पर मा० सभापति, विधान परिषद्, मा० गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, मा० पर्वतीय विकास मंत्री द्वारा अभियन्त्रण शाखा वर्ग–1 के 9 (नौ) पदों का नियमावली में प्रख्यापन किये जाने की मांग

129—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, कृषि विभाग उत्तराखण्ड के अनुरोध पर मा० सभापति, विधान परिषद्, मा० गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, मा० पर्वतीय विकास मंत्री द्वारा अभियंत्रण शाखा वर्ग–1 के 9 (नौ) पदों को नियमावली, 1993 में प्रख्यापन हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों का नियमावली में प्रख्यापन हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, कृषि विभाग उत्तराखण्ड के अनुरोध पर मा० सभापति, विधान परिषद्, निजी सचिव, मा० राज्य गृह मंत्री, भारत सरकार, मा० पर्वतीय विकास मंत्री के पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं।

जी नहीं। पर्वतीय उप संवर्ग के अभियंत्रण शाखा वर्ग–1 के 9 पदों को नियमावली में सम्मिलित करते हुए एवं अन्य आवश्यक समस्त संशोधन करते हुए नई नियमावली प्रख्यापित कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मै० क्षे० (उ० प्र०) लखनऊ के लेखाकार के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट की जानकारी

130—श्री हरदेव सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1305/58–1-94-864/90, दिनांक 24-3-94 एवं पत्रांक 3329/58–1–94–410/90, दिनांक 26-9-94 द्वारा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मै० क्षे० (उ० प्र०) लखनऊ को किसी लेखाकार के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराने के लिये निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

जी हां। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक-दो प्रकरणों में सहायक लेखाकार द्वारा आलू विकास अधिकारी को आवश्यक वित्तीय परामर्श नहीं दिया गया। जांच अधिकारी द्वारा की गयी स्थानान्तरण की संस्तुति पर उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में वित्तीय परामर्श न दिये जाने के सम्बन्ध में सहायक लेखाकार से प्राप्त किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया।

जिला बलरामपुर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उतरौला में मण्डी शुल्क की चोरी की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

131—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या सी०एम०/बी०को०/एम–3/12845/गोण्डा/98, दिनांक 3-7-98 निदेशक, कृषि मण्डी समिति को, जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उतरौला, जिला बलरामपुर में मण्डी शुल्क की चोरी की जांच कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार पत्र में उल्लिखित शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील अकबरपुर के ग्राम पंचायत सस्पना में अवैध कब्जों के सम्बन्ध में जांच की जानकारी

132—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम पंचायत सस्पना के ग्राम वासियों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र जो अवैध कब्जों के सम्बन्ध में दिनांक 10-6-98 को जिला अधिकारी को दिया गया था ? क्या जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11-6-98 को उपजिला अधिकारी को जांच कर कार्यवाही का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में कब किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद अम्बेडकर नगर में स्थित ग्राम सस्पना के ग्राम वासियों द्वारा तीन प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-6-90 को दिये गये थे जिस पर दिनांक 11-6-98 को जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा उप जिलाधिकारी को कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे । प्रथम प्रार्थना-पत्र रास्ता अवरुद्ध होने तथा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में था जिसमें अभिलेखों में कोई रास्ता दर्ज होना नहीं पाया गया और मौके पर रास्ता अवरुद्ध नहीं है । द्वितीय प्रार्थना-पत्र में कुल 77 पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना था जिसमें सभी कब्जेदारों को कब्जा दिला दिया गया है । तृतीय प्रार्थना-पत्र में चकरोडों को खाली कराया जाना था जिसमें चकमार्ग खाली करा दिये गये हैं ? प्लाट नम्बर 1270 श्री चन्द्रभान पुत्र द्वारिका के नाम अंकित होने के कारण कब्जा नहीं हटाया गया ।

वर्ष 1998-99 में जिला लखीमपुर में मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों के निर्माण विषयक विवरण की जानकारी

133—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला लखीमपुर में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया और कितनी सड़कें निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी थीं? क्या विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में वित्तीय वर्ष 1998-99 में मण्डी परिषद् द्वारा कोई सड़क स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वित्तीय वर्ष 98-99 में नौ सड़कों का निर्माण कराया गया ।

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

उपलब्ध धन के सापेक्ष अधिक उत्तरदायित्व सृजित होने एवं नवीन कार्यों पर आन्तरिक प्रतिबन्ध लगे होने के कारण नवीन कार्य स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री राम शंकर लाल पुत्र श्री गनेश प्रसाद निवासी जूठीपुर, परगना अमेठी, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर के विरुद्ध गबन सम्बन्धी मामला

134—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर का तहसीलदार गौरीगंज को प्रेषित पत्रांक 760/एम०टी० 30 जि०अ०, दिनांक 1-12-97 जिसमें राम शंकर लाल पुत्र श्री गनेश प्रसाद निवासी जूठीपुर, परगना–अमेठी, तहसील–गौरीगंज, सुल्तानपुर का विद्युत देय की रसीद

का पैसा खजाने में न जमा कर गबन करने की जांच के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पत्रांक 760/एम०टी० 30 जि०अ०, दिनांक 1-12-97 के बजाय पत्र सं०–1/एस०टी०–उ० जि० अ० गौ०, दिनांक 1-12-97 प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण की जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि बकाया विद्युत देय की धनराशि विद्युत विभाग में जमा की गयी है । अतः सम्बन्धित अमीन के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव, पशुधन प्रसार अधिकारी के सेवामुक्त के पश्चात् पेंशन व अन्य देयों का भुगतान शीघ्र कराये जाने की मांग

135—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव, पशुधन प्रसार अधिकारी, दिनांक 31-12-96 को झांसी जिले से सेवामुक्त हुए ? क्या उनके देयों का कोई भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? क्या एक वर्ष 10 माह बाद भी उनकी पेन्शन स्वीकृति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव के देयों तथा पेंशन का भुगतान शीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री श्रीवास्तव द्वारा पेंशन कागजात विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण पशुपालन निदेशालय में तत्सम्बन्धी कागजात दिनांक 29-12-98 को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए । उनके पेंशन एवं ग्रेच्युटी/राशिकरण निदेशक, पशुपालन द्वारा दिनांक 31-12-98 को निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद बलरामपुर के सीमा विवाद प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की मांग

136—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र उतरौला के सीमा विवाद का प्रकरण वर्ष 1982 से राजस्व परिषद् में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि सीमा विवाद में जनपद बलरामपुर के लगभग 36 राजस्व गांव का प्रकरण लम्बित है जिससे किसानों को फसल बोने एवं काटने में आपसी विवाद के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब का क्या कारण है ? इसका निस्तारण कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों का विवाद तीन जनपदों (गोण्डा, बस्ती व बलरामपुर) के मध्य है । जनपद गोण्डा तथा बस्ती के ग्रामों के सीमा विवाद का प्रकरण अभिलेख अधिकारी, सिद्धार्थनगर न्यायालय में विचाराधीन है ।

137—श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, ग्राम माधोखेड़ा के भूमि गाटा सं० 219 की पुनः पैमाइश कराये जाने की मांग

138—श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थर्मोकोल फैक्ट्री की स्थलीय पैमाइश किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या उक्त फैक्ट्री के मालिक एवं गाटा संख्या 219 की क्रेता/मालिक श्रीमती लक्ष्मी देवी लोधी के मध्य कोई वाद अपील संख्या 192/98, न्यायालय ए० डी० जे०–6 लखनऊ के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषपूर्ण पैमाइश कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त गाटा संख्या–219 की चेक तारसी जांच पुनः उच्च अधिकारियों द्वारा पैमाइश कराकर सूचना उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

थर्मोकोल फैक्ट्री की स्थलीय पैमाइश क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा कराई गई थी ।

जी हां ।

फैक्ट्री की भूमि के पैमाइश में खातेदार की भूमि पर कोई अतिक्रमण करना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ, भूतपूर्व नायब तहसीलदार, मोहनलालगंज द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण

139—श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे गुरुवार के अता० प्र० सं०–53 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ प्रसाद पूर्व नायब तहसीलदार, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे ? भूमि संख्या 2047 जो आबादी के रूप में दर्ज है वह भूमि श्री जगन्नाथ प्रसाद के पुत्रों के नाम कितनी एवं किस तिथि को आवंटित हुई है ? उक्त गाटा संख्या पर बनी बाउन्ड्री के संबंध में बेदखली वाद किसके द्वारा एवं किस तिथि को न्यायालय तहसीलदार, मोहनलालगंज के यहां दायर किया गया ? क्या श्री जगन्नाथ प्रसाद पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर ग्राम समाज की भूमि पर अपने पुत्रों/परिवार के नाम आवंटित/अवैध कब्जा करने की सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कराते हुए प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त नायब तहसीलदार को उनके कार्यकाल में परगनाधिकारी श्रीमती जौहरा चटर्जी ने किस आरोप में सस्पेंड किया था ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा दिनांक 17-6-80 से दिनांक 31-8-82 तक तहसील मोहनलालगंज में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहे ।

भूमि संख्या–2047 आबादी के रूप में दर्ज है । श्री जगन्नाथ प्रसाद के पुत्रों के नाम कोई आवंटन नहीं हुआ है । उक्त गाटा पर बनी बाउन्ड्री के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 9-6-98 को बेदखली का वाद न्यायालय तहसीलदार में दायर किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार को किसी भी आरोप में सस्पेंड नहीं किया गया ।

जनपद जालौन में रबी फसल बुआई हेतु उपलब्ध मिनी किट्स का सत्यापन कराया जाना

140—श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्तमान रबी की फसल की बुआई हेतु मुफ्त दिये जाने वाले मिनी किट्स उपलब्ध कराये गये थे ? यदि हां, तो प्रदर्शन हेतु कौन-कौन सा बीज और कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई गई है ? खण्ड विकासवार जिन कृषकों को बीज वितरण किया गया है ? क्या उन कृषकों का सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उपलब्ध कराये गये बीज व उसकी मात्रा का विवरण निम्नवत् है :—

फसल	प्रजाति	बीज मिनी किट्स की संख्या	बीज की मात्रा (कि०ग्रा०)	कुल बीज की मात्रा (कुन्तल)
चना	के० पी० जी० 59	260	8	20.80
	बी० जी० 372	640	8	51.20
	जी० एन० जी० 663	1064	8	85.12
	बी० जी० 362	600	8	48.00
	जी० एन० जी० 469	60	8	4.80
	उपयोग	2624	—	209.92
मटर	के० एफ० पी० 103	44	7	3.08
	जे० पी० 885	20	7	1.40
	उपयोग	64	—	4.48

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कमल नरायन शुक्ल पुत्र सालिकराम शुक्ल, निवासी जंगलराम, अमेठी, सुल्तानपुर का मकान बिना नोटिस के गिराये जाने एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

141—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित कमल नरायन शुक्ल पुत्र सालिकराम शुक्ल निवासी–ग्राम–जंगलरामनगर, तहसील–अमेठी सुल्तानपुर का दिनांक 9-11-98 का रजि० ए० डी० प्रार्थना-पत्र जिसमें उसके पक्के मकान को उप जिला अधिकारी तहसीलदार द्वारा बगैर किसी नोटिस के ढहाकर नेस्तनाबूद कर देने की शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री शुक्ल को कोई नोटिस या सक्षम अधिकारी के आदेश मकान ढहाने से पूर्व प्राप्त कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो बिना नोटिस दिये मकान ढहाने की कार्यवाही करने के लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

[नोटिस 49 क दिनांक 26-10-98 को तामील]

कराया गया था ।

बेदखली का आदेश दिनांक 31-10-98 को तहसीलदार/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी अमेठी द्वारा पारित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 29-1-98 को अता० प्र० सं० 83 द्वारा उत्तरित]

सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना, ग्राम पंचायत उत्तरगांव जलमग्न तालाब को कृषि भूमि के रूप में किये गये आवंटन को निरस्त करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

143—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जलमग्न तालाब को कृषि भूमि के रूप में किये गये आवंटन को निरस्त करने विषयक श्री राम खेलावन, प्रधान, ग्राम पंचायत उत्तरगांव, तह०–मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर को प्रार्थना-पत्र जो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित है, दिनांक 10-9-97 को तहसीलदार मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री राम खेलावन प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरगांव, तहसील मुसाफिरखाना, जिला–सुल्तानपुर के प्रार्थना-पत्र पर गाटा सं०–1034, 1035, 1176 में हुए कृषि आवंटन की जांच कराई गई । मौके पर पेड़ एवं तालाब होने के कारण पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी । इसी रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि असंक्रमणीय अधिकारों का कोई भूमिधर यदि स्वतः किसी भूखण्ड को नहीं लेना चाहता तो वह धारा 103 जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम के अन्तर्गत समर्पण का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार (भूमि प्रबन्ध समिति) को नोटिस के साथ दे सकता है ।

अभी किसी व्यक्ति द्वारा इस आशय का समर्पण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रुद्रप्रयाग, उखीमठ तह० में भूस्खलित गांवों को अन्यत्र बसाने की योजना की जानकारी

144—श्री मोहन सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रुद्रप्रयाग के उखीमठ तहसील में अतिवृष्टि के कारण भू-स्खलन से प्रभावित सूचीबद्ध गांवों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील उखीमठ में अतिवृष्टि के कारण माह अगस्त, 1998 में भूस्खलन से प्रभावित गांवों को पुनर्वासित किये जाने हेतु राजकीय इण्टर कालेज गुप्त काशी व उद्यान

एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के नाम दर्ज अनुपयोगी भूमि को राजस्व विभाग के नाम अंकित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन अभी तक राजकीय इण्टर कालेज, गुप्त काशी व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के नाम दर्ज भूमि के विच्छेदीकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद लखनऊ, सहा० कृषि अभियन्ता, चिनहट के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

145—डा० अशोक बाजपेई–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक कृषि अभियन्ता, चिनहट, लखनऊ के अधीन कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को वेतन भुगतान हेतु आदेश दिये गये हैं।

जनवरी, 91 से जुलाई, 91 व माह मई, 98 से अब तक के वेतन का भुगतान बजट प्राविधान न होने के कारण नहीं किया जा सका, क्योंकि संदर्भित योजना जिसमें मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था उसे शासन द्वारा फालतू घोषित कर दिया गया है। मजदूरी मद में धन का प्राविधान व आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

बलरामपुर, भूमि संरक्षण अधिकारी, जलागम को वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित धनराशि का भौतिक सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

146—श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम विकास अभिकरण, बलरामपुर से उपलब्ध धनराशि में से रुपया 2,84,421.00 वृक्षारोपण पर व्यय किये जाने के सम्बन्ध में क्या सरकार भौतिक सत्यापन कृषि विभाग के प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ से कराने के आदेश देगी तथा दोषी पाये जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, वांछित भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ को निर्गत कर दिये गये हैं। जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998 की बाढ़ से हुई हानि हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

147—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998 में आई बाढ़ की तबाही से कितनी जन-धन एवं सम्पत्ति की हानि हुई है ? क्या सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998 में राप्ती नदी के बाढ़ के तबाही से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा कुल धन एवं सम्पत्ति की अनुमानित क्षति लगभग रु० 33,43,648/- की हुई है ।

बाढ़ से प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर अहेतुक सहायता, खाद्यान्न के रूप में रुपये 4,57,713.30 तथा गृह अनुदान के रूप में रु० 11,98,800.00 तथा मृतक परिवारजनों को अनुग्रह अनुदान रु० 2,00,000.00 की धनराशि वितरित कर दी गई है ।

वर्ष 1995-96 जिला पंचायत गोण्डा/बलरामपुर में स्वीकृत धनराशि से फर्जी भुगतान की जांच विषयक विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–3/11668/गोण्डा/98, दिनांक 6-6-98 जो जिला पंचायत गोण्डा/बलरामपुर को वर्ष 1995-96 में सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त होने एवं फर्जी भुगतान की जांच कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–5/11660/गोण्डा/98, दिनांक 6-6-98 प्राप्त हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी, गोण्डा से जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण व दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में भू-चित्र गायब होने की शिकायत

149—श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री छब्बू पटेल द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–बरहीनेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील पिंडरा (पहले वाराणसी तहसील), जिला वाराणसी के फसली सन् 1291 का नक्शा (भू-चित्र) की राजस्व परिषद् के अभिलेखागार से दिनांक 18-9-95 को जिलाधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध करायी गयी प्रति प्रमाणित नहीं है ? क्या उपर्युक्त नक्शा प्रमाणित न होने के कारण सदाल नं०–2078 दिनांक 27-11-97 द्वारा बरही नेवादा के आराजी नं० 522, 523, 524, 525 आदि के भू-चित्र की सत्य प्रतिलिपि देने के लिये दिया गया आवेदन पत्र दिनांक 27-11-97 को वाराणसी अभिलेखागार द्वारा निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । राजस्व परिषद् के अभिलेखागार में उपलब्ध भू-चित्र के आधार पर चकबन्दी अनुभाग में कार्यरत दो अनुरेखकों को भेजकर भू-चित्र की प्रति ट्रेस कराई गयी जो किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है ।

जी हां । प्रश्नगत मामले की सत्य प्रतिलिपि देने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-11-97 प्राप्त हुआ था, जिसे राजस्व अभिलेखपाल, अभिलेखागार, वाराणसी द्वारा दिनांक 27-12-97 को निरस्त

किया गया । क्योंकि जब तक भू-चित्र प्रमाणित न हो तब तक नकल प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं ।

जनपद प्रतापगढ़, क्षेत्र पट्टी के सभी पशु चिकित्सालयों एवं सेवा केन्द्रों हेतु भवन निर्माण किये जाने की मांग

150—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के वर्ष 1998-99 में भवन निर्माण हेतु सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

वर्ष 98-99 में निर्माण कार्यों हेतु जनपद प्रतापगढ़ में कोई धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर, उप सम्भागीय प्रसार अधि० तिलहर को प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

151—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दो पत्र उप सम्भागीय प्रसार अधिकारी, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को दिनांक 23-10-98 जो विशेष पत्रवाहक द्वारा भेजे गये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों की जांच अपने स्तर से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता मा० विधायक के पत्र दिनांक 11-11-98 द्वारा शिकायत निरस्त किये जाने का अनुरोध किये जाने के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

152—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए० सी० मिश्रा, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-10-98 सचिव, दुग्ध विकास, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच अपने स्तर से कराकर दोषी को निलम्बित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक कलान, ग्राम कुन्डारया में बाढ़ राहत से वंचित सुविधा दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

153—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-10-98 या इसके आसपास ग्राम कुन्डारया, ब्लाक कलान, वर्तमान जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीणों को बाढ़ राहत से

वंचित सुविधा दिलाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार अपने स्तर से बाढ़ राहत से वंचित ब्लाक कलान के ग्रामीणों को राहत दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-98 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र को कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को भेजा गया है।

बाढ़ प्रभावितों में सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 1998-99 में जनपद फर्रुखाबाद को धनराशि रु० 88.95 लाख आवंटित की गयी है तथा समस्त जिलाधिकारियों को शासन स्तर से यह निर्देश हैं कि जो भी प्रभावित व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आता है, उनको राहत राशि का वितरण तत्काल कराना सुनिश्चित करें। ब्लाक कलान के पात्र ग्रामीणों को राहत वितरण किया जा चुका है।

(उत्तराखण्ड) श्रीनगर, गढ़वाल के मु० दुग्धशाला अधिकारी के विरुद्ध जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

154—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० रामचन्द्र मिश्र, द्वारा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (उत्तराखण्ड) श्रीनगर, गढ़वाल के विरुद्ध शिकायत की जांच विषयक माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–3/11498/मथुरा/98. दिनांक 1-6-98 मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां।

डा० मिश्रा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के आधार पर जांच कराई गई थी जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई थी, जिसका परीक्षण भी कराया जा रहा था। इसी बीच उनके विरुद्ध कुछ और शिकायतें प्राप्त हो गयीं, जिसके कारण उनकी जांच हेतु पुनः महाप्रबन्धक (प्रशासन) पी० सी० डी० एफ० को निर्देश दिये जा चुके हैं। अब शिकायतों की अनुपूरक जांच आख्या प्राप्त हो जाने के बाद ही शासन द्वारा समेकित रूप से निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बरेली, पीलीभीत मार्ग से ग्राम बटैपुरा निकटखोह स्थित सड़क/नाली बनाये जाने की मांग

155—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में बरेली पीलीभीत मार्ग से ग्राम बटैपुरा निकट खोह तक डामर रोड का कब निर्माण कराया गया था ? क्या यह सड़क पूर्णतया टूट गयी है और ग्राम मिलक मोहम्मदपुर में रास्ता पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करने तथा नाली बनवाकर सड़क का कटान रुकवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

संदर्भित मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 3 कि०मी० है। इस मार्ग के दूसरे कि०मी० से ग्राम खोह तक 01 कि०मी० की लम्बाई में सम्पर्क मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 30-11-93 में कराया गया है।

मार्ग ढकिया से शहादत अली तथा मिलक मोहम्मदपुर के बीच जो आपस में मिले हुए हैं, जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण मिलक मोहम्मदपुर में रास्ता पूर्ण रूप से अवरुद्ध न होकर क्षतिग्रस्त है मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित एक कि०मी० लम्बाई में लेपन कार्य लगभग 70 प्रतिशत क्षतिग्रस्त है ।

चूंकि यह मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा नहीं बनाया गया है अतः मरम्मत कराने व नाली बनाकर सड़क कटान रोकवाने का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, वि० खण्ड भदपुरा, ग्राम सुन्दरी से देश नगर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

156—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा में ग्राम सुन्दरी से देश नगर तक सड़क निर्माण कब किया गया था ? क्या घटिया सामग्री कम पत्थर व कम कोलतार डालने के कारण पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क निर्माण कराने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी तथा उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

दिनांक 28-7-94 को पूर्ण कराया गया ।

जी नहीं, वर्ष 1994 में निर्मित प्रश्नगत सड़क वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण के अभाव में क्षतिग्रस्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता ।

जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा स्वीकृत एकीकृत मार्जिन मनी वितरण की जानकारी

157—डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के 2सरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–135 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बहराइच के पत्रांक 1415 दिनांक 28-7-97 द्वारा सूचना, उद्योग अनुभाग–2 में प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपद बहराइच हेतु दिनांक 31-3-95 को स्वीकृत की गयी मार्जिन मनी, ऋण प्राप्त इकाइयों को वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? विलम्ब हेतु दोषी कौन अधिकारी है ? उक्त मार्जिन मनी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां ।

बजट उपलब्ध न होने के कारण एकीकृत मार्जिन मनी ऋण का वितरण करना सम्भव नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत योजना 1-4-95 से समाप्त हो चुकी है । दिनांक 31-3-95 तक एकीकृत मामलों में जिसमें जनपद बहराइच की इकाइयां सम्मिलित हैं, बजट उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाना सम्भव है ।

कृषि निदेशालय में रिक्त सहायक लेखाकार के पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

158—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि 1983 से कृषि निदेशालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा संवर्ग में नियमानुसार 50 प्रतिशत पदोन्नति न देकर सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आगामी सभी लेखा संवर्गीय रिक्तियों को विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति से भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषि विभाग की लेखा सेवा नियमावली (अराजपत्रित) 1982 में लिपिक संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः सीधी भर्ती द्वारा ही नियुक्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय, लेखा अराजपत्रित नियमावली में संशोधन एवं सहायक लेखाकार के पद प्रोन्नति से भरे जाने की मांग

159—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय द्वारा प्रेषित लेखा अराजपत्रित नियमावली में संशोधन का प्रकरण वर्ष 1990 से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नियमावली कब तक संशोधित कर दी जायेगी ? क्या सरकार कर्मचारियों के हित में सहायक लेखाकार के रिक्त होने वाले पदों पर सीधी भर्ती न करके विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

दिसम्बर, 91 से शासन के विचाराधीन है ।

नियमावली में संशोधन की कार्यवाही चल रही है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेखा सेवा नियमावली, 1982 में सहायक लेखाकार पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने का प्राविधान न होने के कारण ।

कृषि निदेशालय लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा संवर्ग में 50 प्रतिशत पदोन्नति विषयक प्रत्यावेदन एवं कार्यवाही

160—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का लिपिक संवर्ग से लेखा संवर्ग में 50 प्रतिशत पदोन्नति दिये जाने विषयक प्रत्यावेदन कृषि निदेशक को दिनांक 4-1-98 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में प्रार्थित बिन्दु क्या थे एवं उस पर क्या

कार्यवाही की गयी है । क्या सरकार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा संवर्ग में पदोन्नति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

सहायक लेखाकार के पद पर प्रोन्नति किये जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था, किन्तु उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1982 में सहायक लेखाकार पद को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान न होने के कारण प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया ।

जी नहीं ।

लेखा सेवा नियमावली, 1982 में सहायक लेखाकार पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने का प्राविधान न होने के कारण ।

कृषि निदेशालय में लिपिकीय संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में

161—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 98/12(9) 82–1816(3)/82, दिनांक 31-5-1982 द्वारा कृषि निदेशालय मुख्यालय के लिपिकीय संवर्ग के अभिलेख एवं लेखा लिपिक जिनकी 5 वर्ष की सेवा हो चुकी थी एवं शैक्षिक योग्यता इण्टर कामर्स थी, का पदनाम वरिष्ठ लिपिक/लेखा लिपिक करते हुए संशोधित वेतनमान दिये जाने का निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए वर्ष 1982 से 30 नवम्बर, 1998 तक कितने कर्मचारियों को उक्त पद नाम एवं वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

किसी को नहीं ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1982 में प्राविधान न होने के कारण ।

टिहरी गढ़वाल के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

162—श्री लाखीराम जोशी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-10-98 को टिहरी गढ़वाल की हैवल नदी में 16-17 अक्टूबर, 1998 को आई भारी बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने एवं प्रभावित कृषि भूमि की सुरक्षा के उपाय करने सम्बन्धी पत्र उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता श्री लाखीराम जोशी मा० सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 9-9-98 व 9-11-98 प्राप्त हुए थे । जो जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये थे ।

जिलाधिकारी ने राहत वितरण हेतु धनराशि रु० 30.00 लाख की मांग की थी जो उन्हें उपलब्ध करा दी गई है ।

वर्ष 1998 उत्तराखण्ड में भू-स्खलन से हुई जन हानि का विवरण एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जांच एवं भू-स्खलन रोकने हेतु किये गये उपाय की जानकारी

163—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च से अक्टूबर, 1998 तक उत्तराखण्ड में कितने स्थानों पर भू-स्खलन हुआ ? उसमें कितनी जानें गयीं तथा कितनी हानि हुई । क्या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये । सरकार भीवष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तराखण्ड में मार्च से अक्टूबर, 1998 तक 661 स्थानों पर भू-स्खलन हुआ, जिससे 371 मनुष्यों व 930 पशुओं की जीवन हानि हुई तथा लगभग रु० 182.74 करोड़ की हानि हुई ।

हां ।

संवेदनशील क्षेत्रों में भू-कम्पनों के बार-बार आने से चट्टानें अस्थिर एवं भुरभुरी हो चुकी हैं, जिस पर वर्षा काल के दौरान सतही एवं अन्तसतही जल का प्रभाव शीघ्र व तीव्र गति से पड़ता है । जिससे भूमि के अन्दर चट्टानें अति संतृप्ता अवस्था के पश्चात् भूमि कटाव, भूमि धसाव तथा स्थल खण्ड खिसकाव की घटनायें तेजी से होती हैं तथा सघन वर्षा होने के कारण भू-स्खलन वाले स्थान पर मिट्टी से पानी रिसने से मिट्टी कच्ची होने व पहाड़ों से मलवा आने से भू-स्खलन होने के तथ्य प्रकाश में आये तथा ड्रेनेज व्यवस्था, रिटर्निंग वाल, बेस्टवाल, चकडाम आदि के निर्माण व रामबांस लगवाने के सुझाव भी प्राप्त हुए ।

भविष्य में भू-स्खलन की सम्भावित घटनाओं को रोकने के लिये संवेदनशील ग्रामों/स्थानों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने की कार्यवाही करने तथा सम्बन्धित विभागों को वृक्षारोपण करने ड्रेनेज व्यवस्था करने, रिटर्निंग वाल, बेस्टवाल व चकडाम निर्मित करने तथा राम बास लगवाने के निर्देश दिये गये हैं । तहसील व ब्लाक स्तर पर दैवी आपदा न्यूनीकरण की बैठकें आयोजित करायी जा रही हैं तथा तहसील स्तर पर समिति का गठन कर जनता को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । स्वैच्छिक संस्थाओं से भी सहायता हेतु अनुरोध किया गया है ।

164—श्री सीताराम निषाद–

[3रे गुरुवार के लिये स्थगित]

जनपद बहराइच कैसरगंज क्षेत्र में बाढ़ आने से बचाव हेतु फर्जी आंकड़े तैयार कर धन दुरुपयोग की जांच

165—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में बाढ़ आने से कितने गांव प्रभावित हुए ? उसमें से कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव प्रभावित हैं ? उनके बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि बाढ़ क्षेत्र के बचाव के नाम पर फर्जी आंकड़े तैयार कर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बहराइच में बाढ़ आने से कुल 276 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें से कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के 85 ग्राम प्रभावित हुए ।

कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित 85 ग्रामों के प्रभावित मनुष्यों तथा पशुओं के बचाव हेतु 111 नावें किराये की तथा एक सरकारी मोटर बोट लगाई गई, 3330 मनुष्यों तथा 2617 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया । दो राहत शिविरों की स्थापना की गयी । 10700 प्रभावित परिवारों में रु० 3,79,438/- की खाद्य सामग्री वितरित की गयी । 341 परिवारों में रु० 3,41,000/- नकद अहेतुक सहायता के रूप में व रु० 2,04,600/- गृह अनुदान वितरित किया गया । प्रकाश, स्वच्छ पेयजल, निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, शौचालय आदि की व्यवस्था की गयी । स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से 2380 परिवारों को 90,893/- रुपये का खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरित कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

जनपद महराजगंज में ग्राम पचरूखिया में विवादित कब्रिस्तान की जमीन पर पीपल के पांच पेड़ लगवाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के [× × ×]

(कई सदस्य अपने आसन से उठकर खड़े हो गये और नारे लगाने लगे)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें । नियम–311 में महराजगंज की घटना के बारे में सूचना आयी है । पहली सूचना श्री विनोदमणि तिवारी जी की है, दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है उस पर श्री अशोक बाजपेयी के भी हस्ताक्षर हैं । तीसरी सूचना उसी घटना के बारे में आयी है वह श्री अवधेश प्रसाद जी की है । कुछ और नियम–311 की सूचनायें दूसरे विषयों पर हैं । दो-दो मिनट में मैं माननीय सदस्यों को सुन लेता हूं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि यह जो घटना है यह मामूली घटना नहीं है और आपको मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 280 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है ।

(श्री अम्बिका चौधरी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप तय कर लें कि कौन पहले बोलेगा । अम्बिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी के उप नेता हैं । अवधेश प्रसाद जी भी अपनी बात कह रहे हैं । इसी विषय पर पहली सूचना 9.15 बजे श्री विनोदमणि तिवारी जी की आयी है उसके बाद चौधरी साहब की है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस विषय पर विपक्ष के सभी दलों का सरोकार है । सभी लोगों ने मिलकर एक दूसरी सूचना दी थी । आज इससे गम्भीर विषय दूसरा नहीं है । इसलिए सभी को एक-दो मिनट में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना पर जिसके हस्ताक्षर नहीं हैं उनको सुनने का प्रश्न नहीं है । अगर सूचना पर बहुत ज्यादा हस्ताक्षर हैं तो उसको विनियमित करेंगे कि किसको-किसको सुना जाये । यह विनोदमणि जी के क्षेत्र की घटना है सबसे पहले उनको सुनूं या फिर समाजवादी पार्टी के उप नेता हैं उनको सुनूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह जनपद महराजगंज की ऐसी लोमहर्षक घटना है जिस पर मैंने नियम 311 में सूचना दी है। महराजगंज में एक पचरूखिया गांव है वहां एक पोखरा है उसके तीन तरफ कब्रिस्तान है उससे जुड़ा छोटा सा विवाद था और उस कब्रिस्तान के पास मजार भी थी । भारतीय जनता पार्टी के [× × ×] कुछ दिन पहले वहां गये और जो जमीन मुसलमानों के कब्जे में थी उस पर 5 पेड़ पीपल के लगाकर [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं क्या उन पर आरोप लगा सकेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं अगर उसी से जुड़ी घटना होगी तो उनका नाम लेना पड़ेगा । जो अभियुक्त हैं उन्होंने उत्तेजना फैलाने का प्रयास किया उस वक्त गांव वालों की कोशिश से यह मामला शांत हो गया । पुनः कल उस स्थान पर जाकर उन्होंने 25 पेड़ लगा दिये जो और मजार बनी थी उसको तुड़वाने का काम किया । उनके साथ [× × ×] और अन्य लोग थे । जब समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो श्री जनार्दन ओझा, कुंवर अखिलेश सिंह और श्री जमुना प्रसाद आदि नेतागण वहां गये उनके ऊपर फायरिंग की गई किसी तरह वह जान बचाकर वहां से चले गये । जेल भरो आन्दोलन के तहत श्रीमती तलत अजीज और अन्य समाजवादी पार्टी के लोग धरना पर बैठे थे । [× × ×] ने गोरखपुर जाने के रास्ते बजाय उसी रास्ते महराजगंज के पास धरमपुर चौराहे पर पहुंचे जहां समाजवादी पार्टी का धरना, सत्याग्रह चल रहा था और उन्होंने श्रीमती तलत अजीज को लक्ष्य करते हुए और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेताओं को लक्ष्य करते हुए गोलिया चलाई जिसके कारण श्रीमती तलज अजीज का गनर सत्य प्रकाश 27 वर्ष की मृत्यु हो गई 8 लोग मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती हैं 30 अन्य लोग घायल हुए हैं । [× × ×]

यह केवल पोखरे के जमीन के पास स्थित मजार को क्षतिग्रस्त करने का या किसी की हत्या करने का ही मामला नहीं है बल्कि यह उससे भी गम्भीर मामला है । अतः सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा करवाई जाय । इसके अलावा हमारी मांग है कि [× × ×] को तत्काल गिरफ्तार किया जाए । उनके विरुद्ध कोतवाली महराजगंज में जो रिपोर्ट लिखाई गई है उस पर कार्यवाही हो । गिरफ्तारी से कम कोई निर्देश आपके द्वारा नहीं होने चाहिए ।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार ही कार्यवाही होगी ।

* श्री विनोद मणि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं वहीं की यह घटना है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि महराजगंज मुख्यालय से 10 कि०मी० की दूरी में ग्राम पचरूखिया है वहां 6 तारीख को सांसद गोरखपुर के द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर जबरन पीपल का पेड़ लगवाया गया इस घटना की जानकारी 7 तारीख को जिला योजना की बैठक में दी गई । उसमें इस सरकार के दो मंत्री भी थे प्रभारी मंत्री भी थे वहां यह मांग हुई कि इससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है । इसको तत्काल रोका जाय । वहां के माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी आदेश दिया था कि इस घटना को देखें और किसी भी अवस्था में शांति-व्यवस्था भंग न होने पाये परन्तु 6 तारीख से 10 तारीख तक जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक वहां नहीं गये, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया । हमारे डी० एम० व एस० पी० ने इस प्रकार की कार्यवाही करने की छूट दे रखी है । 7 तारीख को मैं भी उस गांव में गया था । 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के [× × ×] उस गांव में पुनः आते हैं और विवादग्रस्त कब्रिस्तान पर दुबारा पीपल के पेड़ लगवाकर, कब्रिस्तान को खुदवाने का काम करते हैं । घटना स्थल से 5 कि०मी० दूरी पर समाजवादी पार्टी की सभा हो रही थी । गोरखपुर से पंचरूखिया और पचरूखिया से महराजगंज के लिये दो अलग-अलग रास्ते हैं । प्रशासन को इस बात का पता था कि वहां पर समाजवादी पार्टी की सभा हो रही है । [× × ×] को गोरखपुर न भेजकर उन्हें महराजगंज जाने का मौका दिया, जहां इस तरह की घटना हुई है । आज पूरे जनपद महराजगंज सिद्धार्थनगर में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है ।

मान्यवर, आखिर में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उस गांव के जो रहने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वह लखनऊ में हमारे घर में आकर रह रहे हैं । मैं आपसे उनकी बात करवाऊंगा । इसलिये सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश व महराजगंज को संदेश जाना चाहिए कि किसी भी सूरत में साम्प्रदायिक तनाव पैदा नहीं होने दिया जायेगा । जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिन [× × ×] ने गोली चलाई है, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दायर कर उन्हें गिरफ्तार किया जाय और डी० एम० तथा एस० पी० को तत्काल वहां से हटाकर सजा दी जाय ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना बहुत ही हृदय विदारक व दर्दनाक है और इसकी जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है । श्रीमन्, यह आपको मालूम ही है कि 7 फरवरी से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जेल भरो आन्दोलन चल रहा है महंगाई, इसाई तथा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो ज्यादतियां हो रही हैं । जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, उसके बारे में हमारे साथियों ने अपनी बात कही । मान्यवर, 2-3 बाते बहुत खास हैं । हमारी पार्टी की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष श्रीमती तलत अजीज थीं . वह अल्पसंख्यक और महिला हैं । 10 तारीख को जेल भरो आन्दोलन भी था । श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, जो इस प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, श्री अखिलेश सिंह जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं । ये सारे नेता उस दिन इकट्ठा थे । जब यह पता चला कि कब्रिस्तान की जमीन पर पीपल के पेड़ लगाये जाने का काम कर दिया गया है और उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने शन्तिपूर्ण ढंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

से धरना दिया । 25 मार्च, 1995 को [× × ×] उस समय मौके पर 10 लोग मारे गये थे । किसी का हाथ उड़ गया था,किसी का पैर उड़ गया था, आज यह दर्दनाक घटना भी उन्हीं के द्वारा कराई गई है । वह भी [× × ×] हुई थी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश पासवान की हत्या हुई। जिस मामले में आज उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ी है और जवाब देने की हैसियत में नहीं है । आज भी यह जो काण्ड हुआ है इसमें अल्पसंख्यक लोगों के नाम हैं जो कि इसका शिकार हुए हैं । तलत अजीज, जैनुहसन, इसरत अब्बासी, शमशाद आलम, अहमद सिद्दीकी आदि । इसी तरह से मान्यवर, दो दर्जन अल्पसंख्यकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें आयी हैं । जिस अंग रक्षक की मृत्यु हुई है उसके सिर में चोट आई थी । जिस समय तलत अजीज के सीने में गोली लगने जा रही थी उसको बचाने का काम इस अंग रक्षक ने किया और अपने ऊपर वह वार ले लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हम आह्वान करते हैं कि उसके रोते बिलखते परिवार को 10 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाय और जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार किया जाय । आज तक हमारे 280 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी है । मान्यवर, यह सरकार उत्तर प्रदेश को [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गयी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह सरकार उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहती है । समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा लेकिन इनको किसी कीमत पर प्रदेश को आग में जलाने नहीं देगा । हम पांग करते हैं आज ही कम से कम इस बात के आदेश दे दिये जायं कि जिन्होंने हत्या की है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाय जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा हम मजबूर हैं । 280 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी । हमारे उपाध्यक्ष तलत अजीज के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है । हम किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं । हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे । समाजवादी पार्टी को सुनियोजित तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम किसी तरह से दबने वाले नहीं हैं । माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमने आन्दोलन शुरू कर दिया है । इस समूचे देश में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये तैयार हैं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद महराजगंज के पंचरूखिया में जिस तरह से कब्रिस्तान की भूमि को लेकर भूमि विवाद पिछले दिनों से चल रहा था उसको महराजगंज और गोरखपुर के [× × ×] मिल कर खूनी रूप देने का काम किया है । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । महराजगंज में वर्षों से पचरूखिया में कब्रिस्तान था जिसमें उस वर्ग के लोग मुर्दे गाड़ते थे । अभी तीन दिन पहले वहां पेड़ लगाये गये और फिर उखाड़ दिये गये । समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ 5 तारीख से आन्दोलन चल रहा था उसी के चलते धर्मपुर में उस दिन सभा चल रही थी । [× × ×] अपने काफिले के साथ आते हैं और सुनियोजित तरीके से वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चार्ज करते हैं । घटना स्थल पर ही एक अंगरक्षक मारा गया और तमाम लोग घायल हो गये । कैसे

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानून व्यवस्था कायम रह सकती है जब बी० जे० पी० के [× × ×] दोनों ने महराजगंज में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई ?

(श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी के खड़े होने पर और बोलने पर)

(व्यवधान)

प्रदेश में कानून का राज रहेगा या फिर इसी तरह से जंगल का राज होगा । यह प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में धकेलने का काम कर रहे हैं । यह एक स्थानीय घटना है जिसे यह साम्प्रदायिक रूप देने का काम कर रहे हैं । यह इनकी एक सुनियोजित चाल है । यह चाहते हैं कि [× × ×] कल ब्रह्मदत्त जी की बरसी थी । [× × ×] यह साम्प्रदायिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर हम यह चाहते हैं कि [× × ×] को तत्काल गिरफ्तार किया जाय और जिन लोगों ने गोली चलायी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आयें और इस बात का आश्वासन दें तब तक इस सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों की प्रार्थना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी [× × ×] की गिरफ्तारी की सूचना दे दें हम मान जायेंगे । अगर यह गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो फि पूरे प्रदेश में लीपा पोती का काम चल रहा है । [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसमें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है । अब कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैंने जिन लोगो ने सूचना दी है उनको सुन लिया है । मैंने चार लोगों को इसमें सुन लिया है अब और किसी को नहीं सुनूंगा । मैं इस सदन को संवेदनशील मुद्दे का माध्यम नहीं बनाना चाहता हूं ।

* मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, यह ज्ञानेन्द्र जी के क्षेत्र का मामला है कृपया इन्हें सुन लीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप इसमें विस्तार से चर्चा करवा दें ।

(घोर व्यवधान)

*श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आप हर दल के प्रतिनिधि को सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

पहले विपक्ष की बात आ जाये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है आप को सुन लेता हूं।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी के कई सदस्यगण सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे बाध्य होकर फिर पुरानी व्यवस्था जो मैंने कहा था कि अगर आप सत्ता पक्ष को नही सुनेंगे, तो फिर बाध्य होकर जितने भाषण हुए हैं, उनको कटवा दूंगा अभी मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं दी है।

अभी तक साम्प्रदायिक नहीं है लेकिन इस तरह की घटना के बाद इसे साम्प्रदायिक करने का प्रयास करेंगे। मैं इसे साम्प्रदायिक रंग देने के लिये विधान सभा को माध्यम नहीं बनने दूंगा।

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के वेल पर खड़े समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जा रहा है, यह नारे भी नहीं लिखे जा रहे हैं। और जिन माननीय सांसदों का नाम आपने लिया है उनके नाम कार्यवाही से हटवा दिये जायेंगे क्योंकि जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके विरुद्ध आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं, वह पूरी कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

मैं सदन को 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 1 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है एक बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम 311 की सूचना के माध्यम से जिस प्रकरण पर श्रीमन्, आपने इन सदस्यों के विचार सुने हैं, उस पर विपक्ष के दूसरे सदस्यों की बात भी आ जाय, आप उन लोगों को भी समय दे दें। यह परम्परा रही है।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

विपक्षी दलों के सभी नेताओं को बोलने का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

विपक्ष के दलों के नेताओं को आप सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आप विद्वान हैं और आपके सामने कोई चीज बताना सूरज को चिराग दिखाना है। यह व्यवस्था और परम्परा रही है सर्वदा से कि जब कोई ऐसी घटना घटे और जिस को विपक्ष के द्वारा उठाया जाय तो हमेशा विपक्ष के नेताओं को सुनने का काम हुआ है। आपने भी हमेशा परम्परा और मर्यादा को कायम रखने का प्रयास किया है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष के नेताओं को आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में अभी तक यह व्यवस्था है कि सामान्यतः नियम 311 में जो सूचना दी जाती है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण का हस्ताक्षर हो । मैंने इसमें थोड़ी शिथिलता दे दी थी लेकिन इसका विनियमन इस पीठ से ही होगा । आज 4 माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी, चारों को सुन लिया गया । अब रही बात परम्परा का पालन करने की, तो ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि नियम 311 की सूचना पर सभी को सुन लिया जाय । 311 की सूचना तो अपवाद स्वरूप होती थी, इसमें किसी परम्परा का पालन न करने वाली कोई बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों को तो परम्परा के विषय में विस्तृत ज्ञान नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत लम्बे समय से नहीं हैं । लेकिन जो लोग लम्बे समय से रहे हों, उनको इसकी जानकारी ज्यादा होगी । लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपकी पीठ से कृपा पूर्वक ऐसी तमाम विषयों पर अनुमति प्रदान की गयी है, जो इस विषय से कम गम्भीर थे और सभी दल के नेताओं को सुना गया है । आज तक उसी अनुकम्पा को जारी रहने दें, लेकिन आगे अगर फाइनली बता दिया जाय कि कल से इसको नहीं सुनेंगे तो हम ज्यादा एलर्ट रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अभी जब माननीय श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो बहुत से माननीय सदस्य शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी बात कह लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सत्तारूढ़ पार्टी के दो-दो सांसदों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है । यह लोग प्रदेश में दंगा कराने की साजिश के तहत यह सब करा रहे हैं । आपकी पहले भी अनुकम्पा रही है, उसी के तहत अन्य दल के नेताओं को दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम सीधे [× × ×] की गिरफ्तारी की मांग करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी मांग अभिलेखों में आ गयी है ।

(इस पर समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के अधिकतर सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) ऐसी स्थिति का निर्माण न होने दें कि माननीय सदस्यों को हमें इंगित करना पड़े । (व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(समाजवादी पार्टी के श्री राम विशुन आजाद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में बैठ गये और नारे लगाते रहे । यह सरकार हत्यारी है । यह सरकार जानबूझ कर अल्पसंख्यकों पर गोली चलवा रही है और समाजवादी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर रही है ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें कि हमें इंगित करना पड़े । आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान) (वेल में बैठे सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जो कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा । सदन की कार्यवाही आप लोग शांति पूर्वक चलने दें । आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठें ।

(घोर व्यवधान) (नारे वेल में बैठे सदस्य लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य सदन के वेल में बैठे हैं उनके नाम नोट कर लिये जायें । आप लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही 2.15 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण मा० अध्यक्ष ने 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये पुनः स्थगित कर दी । दो बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

(अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस प्रदेश में जंगल राज हो गया है। हमारी बात बाहर नहीं सुनी जा रही है। आपके संरक्षण में अगर यहां पर भी हमारी बात नहीं सुनी जायगी तो हम कहां अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जितनी बात सुननी आवश्यक थी वह सुन ली गयी।

मैं सम्पूर्ण विपक्ष से कह रहा हूं आप यह कह दें तो मैं पूरे बजट सत्र के लिये सदन को स्थगित कर दूं। अगर इस प्रकार से चाहेंगे तो कार्यवाही नहीं चलेगी। आप कहें तो सारे बजट सत्र के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय। 311 की सूचना पर जितनी बात सुननी थी उतनी सुन ली गयी। (माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप अगर इतना क्रोध करेंगे तो कैसे चलेगा ? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के पहले मेरी बात सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या है, व्यवस्था के नाम पर भाषण नहीं होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष ने आपसे प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे दुख है यह कहने के लिये कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। नियम 311 पर 4 माननीय सदस्यों को मैंने सुन लिया। अब सत्ता पक्ष से ही तो उत्तर आयेगा। आप उत्तर नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब सदन में अव्यवस्था होती है तो व्यवस्थित करने में हमारा सहयोग भी रहता है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। मैंने बार-बार अनुरोध किया कि माननीय सदस्य अपने आसन पर बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर कोई निर्णय हो गया हो तो और बात है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय सबके सामने होता है। आप बतायें कि क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने 2 मिनट सुनने का अवसर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है। नये पुराने सभी सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे। सभी सदस्य चाहते हैं कि सदन ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। आज एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। एक दल के नेता के अंगरक्षक को मार दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पुकारा गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदय राज, श्री राम विशुन आजाद, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री बाबू राम यादव, श्री श्याम लाल रावत आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(नारे लगाये जाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उदयराज यादव स० वि० स० को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री उदयराज यादव को इंगित करता हूं। श्री उदयराज यादव जी आप सदन का त्याग कर दें।

(श्री उदयराज यादव के द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सरकार को बचाने का कृत्य न करें। यह सरकार हत्याओं में डूबी हुई है। इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री उदयराज यादव जी सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी आप प्रस्ताव लायें।

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–299(3) (ख) के अन्तर्गत श्री उदयराज यादव को सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न येह है कि श्री उदयराज यादव को नियम–299 (3) (ख) के अन्तर्गत सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप हत्यारों की गिरफ्तारी की घोषणा करें । यह हत्यारी सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है, हमें आपका संरक्षण चाहिए । इस [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

वेल में आये हुए माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । श्री अम्बिका चौधरी जी आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(माननीय अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार न करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण एवं श्री राम बिशुन आजद को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण, एवं श्री राम विशुन आजाद जी आप तीनों को मैं इंगित करता हूं । आप लोग तुरन्त सदन का त्याग कर दें ।

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण व श्री राम विशुन आजाद द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इन माननीय सदस्यों के निलम्बन के लिये प्रस्ताव लायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–299(3) (ख) के अन्तर्गत श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण एवं श्री राम विशुन आजाद को सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण एवं श्री राम विशुन आजाद को नियम–299 (3) (ख) के अन्तर्गत सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं सदन को 2.45 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं और मार्शल को आदेश देता हूं कि वह इंगित किये गये माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दें।

(श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित करते हुए मार्शल को निर्देश दिया कि वह इंगित सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दें। 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में बैठे रहे)

मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है व श्री उदय राज यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोपाल कृष्ण, श्री राम विशुन आजाद को सदन की सेवा से निलम्बित किया है, मेरा अनुरोध है कि वह सदस्य सदन का त्याग कर दें। जो शेष सदस्यगण वेल में बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया वह अपने-अपने आसन पर जाएं।

(घोर व्यवधान)

जो चार सदस्य निलम्बित किये गये हैं, उनका ध्यान मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 के 3 (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया यह चार सदस्य सदन का त्याग कर दें।

(निलम्बित सदस्यों द्वारा सदन का त्याग न करने पर व वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा नारे लगातार लगाते रहने पर)

मैं निलम्बित सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 के 2 (क) व (ख) की ओर भी आकर्षित करता हूं।

इस कथन के साथ कि माननीय नेता विरोधी दल इन निलम्बित सदस्यों के निलम्बन की समाप्ति के लिये अनुरोध नहीं करेंगे। मैं सदन को कल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

11 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के प्रथम गुरुवार हेतु श्री संत, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–16 के उत्तर का संलग्नक :

डिप्लोमा पशु चिकित्सा संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों का विवरण

1—नस्ल सुधार एवं श्वेतक्रान्ति हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति ।

2—शासन एवं निदेशालय स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों को पृथक संकलित कर समीक्षा व मूल्यांकन किया जाये ।

3—पशुधन प्रसार अधिकारियों की पृथक सेवा नियमावली बनायी जाये ।

4—सचिव, पशुधन एवं निदेशक, पशुपालन के स्तर पर नियमित रूप से प्रत्येक माह एक बैठक समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित की जाय ।

5—दो वर्षीय डिप्लोमा इन वेटनिरी साइन्स एण्ड एनीमल हस्बैन्ड्री प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अत्याधुनिक पशु चिकित्सा एवं पशु सम्बर्धन के शोध को सम्मिलित किया जाए ।

6—पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाय ।

7—विभाग का पुनर्गठन किया गया ।

8—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 में संशोधन कर पशुधन प्रसार अधिकारियों को भी रजिस्ट्रीकृत किया जाय ।

9—पशुधन प्रसार अधिकारियों को क्रय प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र देने का अधिकार दिया जाए ।

10—पशुधन प्रसार अधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार दिया जाए ।

11—"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्थापना 7000 पशु संख्या पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जाय ।

12—जिला योजनाओं के अन्तर्गत "द" श्रेणी पशु चिकित्सालयों के प्रभारी तथा ड्रेसर के आवास एवं संस्था का नक्शा का मानक शासन द्वारा निश्चित किया जाना ।

13—"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय,पशु औषधालय, ग्राम्य समूह इकाई केन्द्र, मेढा केन्द्र तथा भेड़ ऊन प्रसार केन्द्रों पर दवाओं की आपूर्ति जिला योजना द्वारा निर्धारित बजट पर विचार किया जाए।

14—विभागीय कार्यों के लक्ष्य का निर्धारण वेतनक्रम के आधार पर किया जाए ।

15—जिला योजना में प्रस्तावित पशु चिकित्सालयों पर एक पशुधन प्रसार अधिकारी का पद भी प्रस्तावित किया जाए ।

16—पशुधन प्रसार अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर दिया जाय ।

17—सतर्कता विभाग की जांच का निष्पक्षता से न किया जाना ।

18—भविष्य निधि का लेखा जोखा ठीक किया जाय ।

19—सेवानिवृत्त पशुधन प्रसार अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने पर पश्चात् भी पेंशन और भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना ।

20—पशुपालन विभाग में बेईमानी व रिश्वतखोरी पर रोक लगायी जाय ।

21—मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 43929/97 में दिनांक 26-2-98 के निर्णय का समादर राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना ।

22—निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा आयोजनेत्तर–आयोजनागत में पशुधन प्रसार अधिकारियों के पुनरीक्षित मूल वेतन रु० 4500—7000 के स्थान पर रु० 4000—6000 अंकित किया जाना ।

23—निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ तथा अपर निदेशक, उत्तरांचल, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, चमोली द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों के चयन हेतु वेतनमान रु० 4500—7000 के स्थान पर वेतनमान रु० 4000—6000 के विज्ञापन किया जाना ।

24—पशु चिकित्सा महाविद्यालय, फैजाबाद, कानपुर, पंतनगर में 10 प्रतिशत पशुधन प्रसार अधिकारियों को प्रवेश दिया जाय ।

25—शासनादेश दिनांक 1 अगस्त, 1985 का अनुपालन किया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

क्रमांक	ग्राम का नाम	कपड़ा सुखाने हेतु सुरक्षित की गई भूमि		कपड़ा धोने हेतु पोखरी व तालाब में सुरक्षित की गई भूमि	
		गाटा	क्षेत्रफल	गाटा	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	भगवानपुर	269	0.405	269	0.405
2	शिवपुर	943 मि०	0.170	943 मि०	0.170
		948 मि०	0.038	948 मि०	0.038
		950 मि०	0.041	950 मि०	0.041
		947 मि०	0.004	947 मि०	0.004
		949 मि०	0.014	949 मि०	0.014
		5	योग 0.267	5	योग 0.267
3	सरेया	464मि०	0.020	464 मि०	0.020
4	बघाड़	62/1 मि०	0.057	62/1 मि०	0.057
		168 मि०	0.040	168 मि०	0.040
		819 मि०	0.071	819 मि०	0.071
		820/1 मि०	0.010	820/1 मि०	0.010
		4	योग 0.178	4	योग 0.178
5	करौता	251 मि०	0.018	251 मि०	0.018
		253 मि०	0.073	253 मि०	0.073
		2	योग 0.091	2	योग 0.091
6	ब्रह्मपुर	323 मि०	0.290	323 मि०	0.290
7	हरैया	1051 मि०	0.081	10.51 मि०	0.081
8	भकुरहा	139 मि०	0.016	139 मि०	0.016
9	मठिया	170/1 मि० व 2 मि०	0.049	170/1 व 2 मि०	0.049
10	जंगल रसूलपुर नं०–2	1175 मि०	0.040	1175 मि०	0.101
		1703 मि०	0.020	1703 मि०	0.061
		2	योग 0.060	2	योग 0.162

अंतिम विधान सभा

1	2	3	4	5	6
11	डुमरी खास	336 मि०	0.081	336 मि०	0.081
		343 मि०	0.041	343 मि०	0.041
		1269/4	0.016	1269/4	0.016
		1294/1	0.020	1294/1	0.020
		1296/1	0.016	1296/1	0.016
		5	योग 0.174	5	योग 0.174
12	बिलारी	305 मि०	0.100	305 मि०	0.100
13	जोधपुर	91/1	0.050	96/1	0.050
		96/2	0.038	96/2	0.038
		361 मि०	0.060	361 मि०	0.060
		3	योग 0.148	3	योग 0.148
14	गजाई कोल	115 मि०	0.016	115 मि०	0.016
		117 मि०	0.016	117 मि०	0.016
		2	योग 0.032	2	योग 0.032
15	खैराबाद	28/1 मि०	0.028	28/1 मि०	0.028
		35 मि०	0.024	35 मि०	0.024
		314/1 मि०	0.045	314/1 मि०	0.045
		315 मि०	0.048	315 मि०	0.048
		4	योग 0.0145	4	योग 0.145
16	गौनर	1173 मि०	0.041	1173 मि०	0.041
17	मीठावेल	617	0.020	620	0.149
		618	0.020		
		619	0.012		
		3	योग 0.052		
18	फुलवरिया	239/1 मि०	0.040	239/1 मि०	0.040
		240	0.200	240	0.200
		2	योग 0.240	2	योग 0.240

1	2	3	4	5	6
19	विश्वनाथपुर	88/2 मि०	0.073	88/2 मि०	0.073
20	रुद्रपुर	562/2	0.101	562/2	0.101
21	राजधानी	382/1	0.057	1710/2	0.057
		719/4	0.036	1711	0.117
		720/2	0.020	———	———
				2	0.174
		1713	0.053		
		1731	0.012		
		1732	0.041		
		1733/2	0.045		
		———	———		
		7	0.264		
22	झगहा	606	0.121	606	0.121
		615	0.105	615	0.105
		667	0.008	667	0.008
		668	0.032	668	0.032
		669	0.016	669	0.016
		670	0.024	670	0.024
		671	0.016	671	0.016
		———	———	———	———
		7	0.320	7	0.320
23	भौवावार	288	0.696	288	0.696
24	विशुनपुर मटियरा	405	0.016	406	0.101
25	सिलहटा मुन्डेरा	865 मि०	0.202	865 मि०	0.202
26	डीहघाट	391	0.042	391	0.042
27	डुमरौला			559	0.045
28	भेसहा	126 मि०	0.041	126 मि०	0.041
		1641 मि०	0.085	1641 मि०	0.085
29	बहरामपुर	298	0.113	298	0.113
30	मलमलिया	4/3/1	0.020	4/3/1	0.020
31	अयोध्या चक	—	—	141	0.016
	,,	—	—	145/4	0.002
				———	———
				2	0.018
				292/1	0.040
32	गगड़ा	—		257 मि०	0.061
33	जांगल रसूलपुर नं०-1	—	—	239	0.040

1	2	3	4	5	6
34	कुसुम्ही	—	—	409	0.024
35	दुबौली	—	—	472/1 मि०	0.024
36	हरपुर	73 मि०	0.028	74 मि०	0.028
37	लक्ष्मीपुर	182 मि०	0.062	—	—
		183 मि०	0.032		
38	गोरसेरो	1070/2 मि०	0.061	—	—
39	रामनगर कडजहा	—	—	259	0.024
40	डुमरी	—	—	5	0.077

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ''ग''

(देखिये अता० प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 32 पर)

तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में स्थित 218 ग्रामों की सूची

1–यरकी
2–सिझौली
3–सीहमईकारीरात
4–मुकेरीपुर
5–गोविन्द गनेशपुर
6–बरियावन
7–मीरपुर शेखपुर
8–खजूरडीह
9–सैदपुरभितरी
10–ससपना
11–विश्रामपुर
12–खजुरी
13–जलालपुर सेहरा
14–भिखारीपुर
15–पान्डेपकोली
16–मुगरी
17–महरुआ
18–इमामपुर
19 कसेरूआ
20 लालापुर
21–सिसवा
22–भरथीपुर
23 गोहन्ना
24–अशरफाबाद
25–रुस्तमपुर अशरफपट्टी
26–बेल्उवाबरियारपुर
27–नौगवां
28–माधवपुर
29–घाघूपुर
30–मिर्जापुर करनाई
31–अमरतल
32–सरैया विरसिंहपुर
33–लाखीपुर
34–हसनपुर
35–फतेहपुर ककरडीला
36–हैदराबाद
37–मरथुआ
38–जल्लापुर बसेढा
39–रासलपारू
40–रावीपुरबहाउदीनपुर
41–बरहा
42–बरमपुरबरवा
43–रोशनबढ
44–खंडसा
45–बौरे
46–अढनपुर
47–सलाहुद्दीनपुर
48–माउख
49–गौराबसन्तपुर
50–सुल्तानपुर
51–पौथापुर
52–चन्दनपुर
53–भीटी
54–पंजूपुर
55–दारीडीहा
56–पतौना
57–सदरपुर
58–अहेथिया किशुनीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

59–उमरपुर
60–हाजीपुर मरूई
61–हुसैनपुर सकरवारी
62–ख्वाजापुर
63–भवानीपुर
64–परवारभारी
65–रामनगरकर्रा
66–देउवां जलापुर
67–आलमपुर अखई
68–बसन्तपुर
69–बस्तीपुर
70–जमुनीपुर
71–शंखपुर
72–कोइरा
73–पिछवारा
74–रामपुरगिरन्ट
75–बरामढपुरजरियारी
76–चिउटीपुरा
77–खेमापुर
78–बन्दनडीह
79–दुबखरपरमरूदाइन
80–मिझौड़ा
81–मूसेपुरगिरन्ट
82–समैसाखाम
83–सेमरी
84–बहोरिकपुर
85–रामपुरबनेधू
86–इसमाइलपुरगंज
87–लोरपुर ताजन
88–लोदीपुर
89–प्रतापपुर चमुर्खा
90–मझियारी अठवारा
91–सबना
92–पयलईकल्यानपुर
93–कजरीजमालुद्दीनपुर
94–आशाजीतपुर खहिरान
95–आशाजीतपुरकला
96–दरवन
97–मथानी
98–बरधाभिउरा
99–दाउदपुर
100–टेमा
101–लाखीपुर
102–ताराखुर्द
103–शुकुलपट्टी
104–काछासारीपट्टी
105–रबीवाकरमाजीत
106–समन्धा
107–गजैनपुर
108–पीठापुरआशाजीतपुर
109–गोसरपुर
110–दान्दूपुर
111–पीथापुर
112–गौरा
113–नरायनपुर
114–चन्दापुर
115–बेला
116–हीड़ीपकड़िया
117–गौसपुर
118–पिगिरवावा
119–वजदहा
120–अफजलपुर
121–सिकन्दरपुर
122–बेवाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

123–जलालपुर परशुरामपुर
124–पखनपुर–पाकड़पुर
125–आदीपुर
126–रघुनाथपुर
127–घुरहूपुर
128–राजेपुरधावा
129–मलिकपुर दियरा
130–शाहपुर पलासी
131–मीरानपुर
132–मझवा
133–सोनगांव
134–विक्वाजीतपुर
135–यहियाकमालपुर
136–रसूलपुर डियरा
137–रामपुरनोनसिला
138–घनेपुर
139–भगवानपुर
140–लारपुर
141–रामपुर मगुराडिला
142–सया
143–बेनीपुर
144–धरमगंज
145–जलालपुर चांदपुर
146–तरसावां
147–विजयगांव
148–बासूपुर बनियानी
149–अहिरौली
150–खुलासपुर
151–जोगनपुर
152–अरिया
153–फतेहपुर बेलरबाग
154–सुरजूपुर
155–आमा
156–खोजातपुर
157–धौरहरा
158–चितौना
159–संग्रामपुर
160–भगौतीपुर
161–दरगाह रमजान
162–जैतपुरखास
163–अतरौरा
164–प्यारेपुर
165–बनवां
166–सुबारपुर
167–डडवाकला
168–मुधुवपुर मीरनपुर
169–खेवार
170–कोटवा महमूदपुर
171–उमरावां
172–रूहल्लापुर
173–उमरपुर
174–अरियावन
175–परमानन्दपुर
176–गंगापुर
177–करतोरा
178–रावनडीह
179–रावनडीह
180–फरीदपुर
181–कहरासुलेमपुर
182–मुकुन्दीपुर
183–दुल्लापुर
184–मदारभारी
185–महमूदपुरचपरा
186–भिउरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

187–अहेया
188–रेवरा
189–मिर्जापुर
190–मोहनपुर गिरन्ट
191–तकियाकानूनगो
192–कदियापुर
193–पिगिरियावां
194–सुल्तानपुर
195–ऊजीपारा
196–असौवापार मोहरई
197–बरामदपुर लोहरा
198–रतनपुर
199–मनिकापुर
200–अतरडीहा
201–जैतूपुर
202–बढैया
203–मोहिद्दीनपुर
204–सरायजंगल
205–करही
206–मोहसिनपुर
207–आतडीह
208–पारूदेवा
209–अभयचन्दपुर
210–बसुआ
211–अमरौला
212–चन्दौनी
213–ज्ञानपुर
214–पकड़ीनगऊपुर
215–दमेहा
216–सोनावां
217–मुबारकपुर मुरेला
218–समोखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ''घ''

(देखिये अता० प्रश्न सं०–62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–62 का संलग्नक

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	माह					
		फरवरी–97	मार्च–97	अप्रैल–97	मई–97	जून–97	जुलाई–97
1	श्री राम सनेही आजाद विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रेणी–2						
	अ–कोषागार को भेजने का दिनांक	26-3-97	11-4-97	16-7-97	16-7-97	30-6-97	1-8-97
	ब–आहरण का दिनांक	31-3-97	21-4-97	23-7-97	23-7-97	01-7-97	6-8-97
	स–भुगतान का दिनांक	31-3-97	21-4-97	23-7-97	23-7-97	01-7-97	6-8-97
2	श्री विनोद कुमार सचान, विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रेणी–2						
	अ–कोषागार को भेजने का दिनांक	16-7-97	16-7-97	16-7-97	16-7-97	30-6-97	1-8-97
	ब–आहरण का दिनांक	23-7-97	23-7-97	23-7-97	23-7-97	01-7-97	6-8-97
	स–भुगतान का दिनांक	23-7-97	23-7-97	23-7-97	23-7-97	01-7-97	6-8-97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 142 विधान सभा (282)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।